पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 जुलाई, 2011 ई0 (आषाढ़ 11, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इं0), प्रथम तल, निकट आई.एस.बी.टी, माजरा, देहरादून

अधिसूचना संख्या एफ–9(5)/आरजी/यूईआरसी/2010/1393

अक्टूबर 28, 2010

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

विद्युत अधिनियम, 2003, 10 जून, 2003 को अधिनियमित किया गया जिसमें पारेषण व वितरण में उन्मुक्त अभिगमन, पूर्व के विधान से विशिष्ट अभिलक्षण थे। धारा 42 की उपधारा (2), आपूर्ति के अपने क्षेत्र में वितरण अनुज्ञापी से अन्य किसी व्यक्ति से आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिये आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाली ऐसी शर्तों के अधीन तथा ऐसे चरणों में वितरण में उन्मुक्त अभिगमन प्रारम्भ करने हेतु राज्य आयोग पर उत्तरदायित्व डालती है। तदनुसार, आयोग ने यूईआरसी (वितरण में उन्मुक्त अभिगमन) विनियम, 2004 जारी किया था जिसमें किसी अन्य व्यक्ति से आपूर्ति प्राप्त करने के लिये पदस्थ वितरण अनुज्ञापी से वितरण में उन्मुक्त अभिगमन मांगने वाले उपभोक्ता हेतु निबंधन एवं शर्तें उपबंधित की गई थी। इन विनियमों द्वारा उपबंधित किया गया कि अधिनियम के अधीन उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता द्वारा देय प्रभारों अर्थात पारेषण तथा व्हीलिंग प्रभार, प्रति सहायिकी प्रभार इत्यादि, का अवधारण प्रत्येक मामले में अलग अलग किया जायेगा। तथापि, पड़ोसी राज्यों की तुलना में राज्य में मुख्य रूप से अधिक विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति तथा निम्न शुल्कों के कारण राज्य सरकार की दृष्टि में, उपभोक्ता द्वारा लिया गया उन्मुक्त अभिगमन का एक भी मामला नहीं आया।

चूंकि पारेषण में उन्मुक्त अभिगमन की आरंभ से ही अनुमति थी, इसकी प्रक्रिया या शर्तों तथा स्टेकहोल्डर्स के उत्तरदायित्वों के सम्बन्ध में विनियम जारी करने की कोई आवश्यकता तब तक नहीं समझी गई जब तक कि राज्य के बाहर ऊर्जा के विक्रय हेतु हाल में कुछ उत्पादकों द्वारा पारेषण में उन्मुक्त अभिगमन नहीं मांगा गया।

अनुरूप क्षमता वृद्धि के बिना तीव्र भार वृद्धि के कारण राज्य को ऊर्जा की भारी कमी का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप भारी पावर कट हुआ। कुछ औद्योगिक उपभोक्ताओं ने उन्मुक्त अभिगमन के अंतर्गत

यह विनियम दिनांक 13.11.2010 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

अन्य स्रोतों से ऊर्जा की व्यवस्था हेतु आयोग से सम्पर्क किया। स्टेकहोल्डर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत से यह ज्ञात हुआ कि उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले केवल रोस्टरिंग की अवधि में दूसरे स्रोतों से आपूर्ति चाहते थे। उनमें से कुछ यह भी चाहते थे कि उन्हें अन्य स्रोतों से सस्ती ऊर्जा हेतु दिन के किसी भी समय उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति दी जाय तथापि उनमें से किसी ने भी ऊर्जा की आपूर्ति हेतु पूर्णता में वितरण अनुज्ञापी के साथ गठजोड़ समाप्त करने में रूचि नहीं दिखाई हैं, इसका कारण संभवतः यह है कि यह अब भी ऊर्जा का सबसे विश्वसनीय व सस्ता आपूर्तिकर्ता है।

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने पारेषण/वितरण प्रणाली में भार कटौती की अवधि में वितरण अनुज्ञापी के उपभोक्ताओं तथा वितरण प्रणाली में उत्पादक/अन्य स्टेकहोल्डर द्वारा उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के साथ साथ जुलाई, 2010 में राज्य के भीतर उन्मुक्त अभिगमन के निबंधन एवं शर्तों पर प्रारूप विनियम जारी किये। स्टेकहोल्डर्स से 2 अगस्त, 2010 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई। तथापि, इस विषय पर टिप्पणियां सितम्बर माह के अंत तक प्राप्त होती रहीं। आयोग ने प्रारूप विनियम को अंतिम रूप देते समय इन सभी टिप्पणियों पर विचार किया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में आयोग ने वर्तमान विनियमों को अंतिम रूप दिया है। इन विनियमों की प्रमुख विशेषताएं हैं :–

(i) इन विनियमों में दो प्रकार के उन्मुक्त अभिगमन चाहने वालों को परिभाषित किया गया है, अर्थात, उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक तथा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता। जो उपबंध सभी पर लागू हैं उन्हें "उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक" संदर्भित किया गया है तथा जो उपबंध केवल उपभोक्ताओं पर लागू हैं उन्हें उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के रूप में संदर्भित किया गया है।

(ii) उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति 11 के.वी. या उससे ऊपर के अनुज्ञापी को वितरण प्रणाली से जुड़े किसी उपभोक्ता को प्राप्त है।

(iii) उन्मुक्त अभिगमन को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, अर्थात, लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन, दिन के एक भाग से एक माह तक, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन, 3 माह से 3 वर्ष तक तथा दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन 12 वर्ष से 25 वर्ष तक।

(iv) इन विनियमों में अनुसूचित रोस्टरिंग की अवधि में उन्मुक्त अभिगमन हेतु उपबंधों को सम्मिलित करने वाली एक उप श्रेणी "सीमित अवधि उन्मुक्त अभिगमन" प्रारम्भ की गई है। चूंकि ये उपभोक्ता मासिक मांग प्रभार का भुगतान कर रहे होंगे तथा केवल उस अवधि में उन्मुक्त अभिगमन चाहेंगे जब वितरण अनुज्ञापी उन्हें ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करने की स्थिति में नहीं होगा। इन उपभोक्ताओं के लिये पारेषण व व्हीलिंग प्रभार, प्रति सहायिकी तथा अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिये गये हैं।

(v) स्टेकहोल्डर्स की मांग पर, "अन्तःस्थापित उपभोक्ता" उप श्रेणी जोड़ी गई है। उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता जो वितरण अनुज्ञापी से अपना सम्बन्ध तोड़ना नहीं चाहते हैं तथा शुल्क आदेश को सुसंगत दर अनुसूची के अनुसार मासिक मांग प्रभार तथा अन्य प्रभार का भुगतान जारी रखेंगे, "अन्तःस्थापित

उपभोक्ता" के रूप में परिभाषित किये गये हैं। चूंकि ये उपभोक्ता मासिक मांग प्रभार का भुगतान करना जारी रखेंगे, ऐसे मांग प्रभार, इन उपभोक्ताओं द्वारा देय व्हीलिंग प्रभार के विरूद्ध समायोजित किये जायेंगे।

(vi) विशिष्ट ऊर्जा मीटरों की आवश्यकता को भी अन्तः स्थापित उपभोक्ताओं तथा सीमित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं हेतु शिथिल कर दिया गया है तथा इन उपभोक्ताओं के लिये ऊर्जा लेखा करण वर्तमान टी.ओ.डी. मीटर्स द्वारा किया जायेगा। इन उपभोक्ताओं को यू.आई. प्रभार भी नहीं लगेंगे।

(vii) अधिनियम में वितरण प्रणाली के लिये दी गई परिभाषा के अनुसार सभी उपभोक्ता, अन्तः संयोजित वोल्टेज का विचार किये बिना, वितरण प्रणाली से जुड़े हैं। अधिनियम की धारा 46 के अनुसार वितरण अनुज्ञापी, ऐसी ऊर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से उपभोग में लाई गई किसी विद्युत लाईन या संयंत्र उपलब्ध कराने में युक्तियुक्त रूप में हुए किसी व्यय की वसूली हेतु प्राधिकृत है। भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 58 तथा अधिनियम की धारा 54 के साथ पठित ये उपबंध यह पूर्णतया स्पष्ट करते हैं कि ई.एच.वी. पर स्वतंत्र पोषक सहित कोई लाईन वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली है तथा प्रत्येक उपभोक्ता उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त करने के लिये व्हीलिंग प्रभार का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार है।

(viii) स्टेकहोल्डर्स का विश्वास विकसित करने के लिये पारेषण व व्हीलिंग प्रभार, प्रति सहायिकी तथा अतिरिक्त अधिभार सहित अधिनियम के अधीन देय सभी प्रभार अवधारित करने की पद्धति निश्चित की गई है। ये प्रभार वार्षिक रूप से अवधारित किये जायेंगे तथा इन्हें शुल्क आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(ix) सभी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों को शुल्क आदेश में विनिर्दिष्ट औसत पारेषण हानियां वहन करनी होंगी। सभी उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं को लागू वर्ष हेतु अपने शुल्क आदेश में विभिन्न वोल्टेज स्तरों के लिये आयोग द्वारा अवधारित औसत वितरण हानियां वहन करनी होती हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 39, 40, 42 तथा 86 के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त सभी अन्य शक्तियों से सक्षम होकर उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाना प्रस्तावित करता है, यथा :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2010 होगा।

(2) ये विनियम इनके सरकारी गज़ट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिधि

ये विनियम राज्य में, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली तथा वितरण प्रणाली के उपयोग हेतु उन्मुक्त अभिगमन, जिसमें अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ साथ उपयोग किया जाना सम्मिलित है, पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(2) "आबंटित क्षमता" से राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली पर दीर्घावधि/मध्यम अवधि ग्राहक को अनुमोदित अन्तः का/के विनिर्दिष्ट बिन्दु तथा निकासी का/के विनिर्दिष्ट बिन्दु के मध्य एम.डब्ल्यू. में ऊर्जा अन्तरण अभिप्रेत है तथा पद "क्षमता का आबंटन" का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा;

(3) "आवेदक" से, उपभोक्ता, व्यापारी, वितरण अनुज्ञापी या उत्पादक स्टेशन जिसने संयोजिता या उन्मुक्त अभिगमन, यथा स्थिति, हेतु आवेदन किया हो, अभिप्रेत है;

(4) "केन्द्रीय आयोग" से, अधिनियम की धारा 76 में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(5) "आयोग" से, अधिनियम की धारा 82 में संदर्भित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(6) "उपभोक्ता" शब्द से वही अभिप्रेत होगा जो कि अधिनियम में दिया गया है किंतु यह उत्तराखण्ड राज्य के भीतर उन्हीं उपभोक्ताओं तक सीमित रहेगा जिन पर यह अधिनियम लागू होगा।

(7) "संविदाकृत भार" से के.डब्ल्यू./एच.पी./के.वी.ए. (किलो वॉट/हौर्स पावर/किलो वॉट एम्पीयर) में वह भार अभिप्रेत है जिसे शासित निबंधनों एवं शर्तों के अधीन समय समय पर आपूर्ति करने के लिये वितरण अनुज्ञापी सहमत हुआ है तथा जो संयोजित भार से भिन्न है;

(8) "दिन" से 00.00 बजे प्रारम्भ होकर 24.00 बजे समाप्त होने वाला दिन अभिप्रेत है;

(9) "वितरण अनुज्ञापी" से, उत्तराखण्ड राज्य में विद्युत के वितरण तथा खुदरा आपूर्ति हेतु अधिनियम के भाग IV के अधीन अनुज्ञापित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(10) "वितरण प्रणाली" से पारेषण लाईनों या उत्पादक स्टेशन संयोजन के प्रेषण बिन्दुओं तथा उपभोक्ताओं के संस्थापनों के संयोजन बिन्दु के मध्य तारों तथा सहायक सुविधाओं की प्रणाली अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 46 तथा 54 के साथ पठित धारा 2(19), के साथ भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 58 में दी गई वितरण प्रणाली की परिभाषा के अनुसार पारेषण लाईनों पर प्रेषण बिन्दु के साथ उपभोक्ता के संस्थापन को जोड़नेवाली कोई लाईन या पोषक, बिना वोल्टेज का या इस बात का विचार किये कि ऐसी लाईन की लागत किसने वहन की है, वितरण अनुज्ञापी के स्वामित्व वाले वितरण की सीमा में आते हैं।

(11) "अन्तः स्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता" (या संक्षेप में अन्तः स्थापित उपभोक्ता) से वह उपभोक्ता अभिप्रेत हैं जिनकी उस वितरण अनुज्ञापी के साथ आपूर्ति की सहमति है जिसके आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ता अवस्थित हैं, तथा उक्त वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता बने रहते हुए, वर्ष के दौरान किसी एक माह या अधिक में या किसी दिन या अधिक में एक या अधिक समय खांचे में उन्मुक्त अभिगमन के अधीन किसी अन्य व्यक्ति से इसकी मांग के एक भाग या पूरे की निकासी के विकल्प का उपयोग करते हैं तथा सुसंगत श्रेणी पर लागू दर अनुसूची के अनुसार मासिक मांग प्रभारों तथा अन्य प्रभारों का भुगतान करना जारी रखते हैं।

(12) "आई.ई.जी.सी." से, अधिनियम की धारा 79 की उप धारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तथा समय समय पर संशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता अभिप्रेत है;

(13) "सीमित लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता" से ऐसा उपभोक्ता अभिप्रेत है जिसकी उस वितरण अनुज्ञापी से सहमति है जिसके आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ता अवस्थित है तथा ऊर्जा की कमी के कारण केवल पूर्व अनुसूचित भार कटौती के दौरान ही वितरण तथा/या पारेषण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमन का उपयोग करता है;

(14) "दीर्घावधि अभिगमन" से 12 वर्ष से अधिक किंतु 25 वर्ष से कम अवधि हेतु राज्य के भीतर

पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के उपयोग का अधिकार अभिप्रेत है;

(15) "मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन" से, तीन माह से अधिक किंतु तीन वर्ष से कम हेतु उन्मुक्त अभिगमन अभिप्रेत है;

(16) "माह" से ग्रेगोरी के पंचांग के अनुसार केलेण्डर माह अभिप्रेत है;

(17) "नोडल एजेन्सी" से इन विनियमों के विनियम 13(2) में परिभाषित नोडल एजेन्सी अभिप्रेत है;

(18) "उन्मुक्त अभिगमन" से, इन विनियमों के अनुसार एक उत्पादक स्टेशन या किसी अनुज्ञापी या उपभोक्ता द्वारा ऐसी लाईन या प्रणाली के साथ पारेषण लाईनों या वितरण प्रणाली या संलग्न सुविधाओं के उपयोग हेतु भेदभाव रहित उपबंध अभिप्रेत है; जिसमें दीर्घावधि अभिगमन, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन तथा लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन सम्मिलित है।

(19) "उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक (संक्षेप में ग्राहक)" से ऐसा उपभोक्ता, व्यापारी, वितरण अनुज्ञापी या उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त है;

(20) "उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता" से ऐसा उपभोक्ता अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त है;

(21) "आरक्षित क्षमता" से पारेषण/वितरण की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए पारेषण/वितरण प्रणाली पर लघु अवधि को अनुमोदित निकासी का/के बिन्दु (ओं) तथा अन्तः क्षेपण का/के विनिर्दिष्ट बिन्दु (ओं) के मध्य एम.डब्ल्यू में ऊर्जा–अन्तरण अभिप्रेत है तथा पद "क्षमता का आरक्षण" का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा;

(22) "लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन" से एक समय पर एक माह तक की अवधि हेतु उन्मुक्त अभिगमन अभिप्रेत है;

(23) "एस.एल.डी.सी." से, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य भार प्रेषण केन्द्र अभिप्रेत है;

(24) "राज्य" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;

(25) "राज्य ग्रिड संहिता" से, इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तिथि पर लागू तथा समय समय पर संशोधित अधिनियम की धारा 86 की उप धारा (1) के खण्ड (एच) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य ग्रिड संहित अभिप्रेत है;

(26) "राज्य पारेषण युटिलिटी (एसटीयू)" से, अधिनियम की धारा 39 की उप धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी कम्पनी या राज्य विद्युत बोर्ड अभिप्रेत है;

(27) "पारेषण अनुज्ञापी" से, उत्तराखण्ड राज्य में विद्युत के पारेषण हेतु अधिनियम के भाग IV के अधीन

अनुज्ञापित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(28) "पारेषण प्रणाली खण्ड" से अन्तःक्षेपण के बिन्दु से निकासी के बिन्दु तक सम्पूर्ण पारेषण प्रणाली या उसका एक भाग अभिप्रेत है;

(29) "व्हीलिंग" से वह परिचालन अभिप्रेत है जिसके द्वारा वितरण अनुज्ञापी या पारेषण अनुज्ञापी, यथा स्थिति, को वितरण प्रणाली या सहायक सुविधाओं का विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अधीन अवधारित किये जाने वाले प्रभारों के भुगतान पर विद्युत के हस्तांतरण हेतु अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है;

(30) सभी शब्द एवं पद जिनका इन विनियमों में उपयोग किया गया है किन्तु परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु जिन्हें अधिनियम या आई.ई.जी.सी. या राज्य ग्रिड संहिता, वितरण संहिता में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम या आई.ई.जी.सी. या राज्य ग्रिड संहिता, वितरण संहिता, यथा स्थिति, में उनके लिये नियत किया गया है।

(31) समय समय पर संशोधित रूप में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इन विनियमों की व्याख्या हेतु लागू होगा जैसे कि यह संसद के एक अधिनियम की व्याख्या के लिये लागू होता है।

अध्याय 2

संयोजिता

4. संयोजिता

(1) 10 एम.डब्ल्यू. या इससे ऊपर के भार वाले उपभोक्ता या 10 एम.डब्ल्यू0. या ऊपर की क्षमता वाले उत्पादक स्टेशन जब तक कि पहले ही संयोजित न हों, 132 के.वी. या इससे ऊपर की संयोजिता प्राप्त करने के लिये योग्य होंगे, तथा वे इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार संयोजिता हेतु आवेदन करेंगे।

(2) 10 एम.डब्ल्यू. से कम भार वाले उपभोक्ता या 10 एम.डब्ल्यू. से कम संस्थापित क्षमता वाले उत्पादक स्टेशन, जब तक कि पहले से ही संयोजित न हों, 66 के.वी. या इससे कम की संयोजिता प्राप्त करने के लिये योग्य होंगे तथा वे इस अध्याय के उपबंधों के अनुरूप, इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार संयोजिता हेतु आवेदन करेंगे।

5. 132 के.वी. या इससे ऊपर की संयोजिता हेतु आवेदन प्रक्रिया

(1) आवेदक, एसटीयू द्वारा नियत की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया के निर्धारित प्रपत्र पर संयोजिता हेतु एसटीयू को आवेदन करेगा।

(2) आवेदन के साथ, देहरादून में देय उत्तराखण्ड ऊर्जा पारेषण निगम (पिटकुल) के नाम डिमांड ड्राफ्ट द्वारा दो लाख रूपये का अप्रतिदेय शुल्क देना होगा।

(3) संयोजिता हेतु आवेदन मे आवेदक की प्रस्तावित भौगोलिक अवस्थिति, राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली के साथ ऊर्जा के परस्पर किये जाने वाले अंतरण की मात्रा जो कि एक कैप्टिव उत्पादक संयंत्र सहित उत्पादक स्टेशन के मामले में अन्तःक्षेपित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा है तथा एक उपभोक्ता के मामले में विकसित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा, तथा ऐसे अन्य विवरण जो कि विस्तृत विवरण में राज्य पारेषण युटिलिटी द्वारा नियत किये जायें, का समावेश होगा:

परन्तु ऐसे मामलों में जहां एक बार आवेदन फाईल किये जाने के पश्चात, आवेदक की अवस्थिति में भौतिक परिवर्तन हुआ है या राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली के साथ परस्पर अंतरण होने वाली ऊर्जा की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन होता है, तो आवेदक एक नया आवेदन करेगा, जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जायेगा।

6. आवेदन का प्रक्रमण तथा एसटीयू/पारेषण अनुज्ञापी को संयोजिता प्रदान करना।

(1) आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य के भीतर पारेषण में संलग्न अन्य अभिकरणों के साथ परामर्श कर व सामंजस्य कर एसटीयू आवेदन का प्रक्रमण करेगा तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजिता हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक अन्तः संयोजन अध्ययन करायेगा।

(2) राज्य पारेषण युटिलिटी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र सहित राज्य के भीतर पारेषण में संलग्न अन्य अभिकरणों से प्राप्त सुझावों तथा टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात तथा उपरोक्त उप–विनियम (1) के अधीन, आवेदन की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर

(ए) ऐसे आशोधन या ऐसी शर्तों के साथ आवेदन स्वीकार करेगी जैसी कि उनके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें,

(बी) यदि ऐसा आवेदन इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार नहीं हैं तो कारण अभिलिखित कर आवेदन रद्द करेगी।

(3) उपरोक्त उप–विनियम (2) के खण्ड (ए) के अनुसार किसी आवेदन के स्वीकृत होने पर, राज्य पारेषण युटिलिटी आवेदक को एक औपचारिक प्रस्ताव देगी।

परन्तु यदि राज्य पारेषण युटिलिटी से भिन्न, राज्य के भीतर पारेषण अनुज्ञापी की राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली को संयोजिता प्रदान की जाती है तो राज्य पारेषण युटिलिटी राज्य के भीतर के उपयुक्त पारेषण अनुज्ञापी को प्रस्ताव की एक प्रति अग्रेसित करेगी।

(4) वोल्टेज स्तर, जिस पर राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली से संयोजन हेतु आवेदक को प्रस्ताव दिया गया है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजिता हेतु तकनीकी मानक) अधिनियम, 2007 तथा राज्य पारेषण युटिलिटि द्वारा अपनाये गये प्रचलित दिशा–निर्देशों द्वारा शासित होगा।

(5) राज्य पारेषण युटिलिटि सहित आवेदक तथा राज्य के भीतर पारेषण अनुज्ञापियों द्वारा, अपेक्षित शर्तों के अनुपालन के पश्चात, राज्य पारेषण युटिलिटी, संबंधित आवेदक को अधिसूचित करेगी कि इसे राज्य के भीतर पारेषण प्रणाली से संयोजित किया जा सकता है।

(6) आवेदक, जहां संयोजिता प्रदान की जा रही है वहां एसटीयू द्वारा चिन्हित किये गये उप–स्टेशनों या पूलिंग स्टेशन या स्विचयार्ड या पारेषण लाईन के स्वामी राज्य पारेषण यूटिलिटि या राज्य के भीतर पारेषण अनुज्ञापी के साथ एक संयोजिता सहमति पत्र हस्ताक्षरित करेगा।

परन्तु यदि राज्य पारेषण युटिलिटी से भिन्न राज्यान्तर्गत पारेषण अनुज्ञापी की राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली को एक कैप्टिव उत्पादक संयत्र या उपभोक्ता सहित, उत्पादक स्टेशन की संयोजिता प्रदान की जाती है तो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजिता हेतु तकनीकी मानक) विनियम 2007

में उपबंधित किये अनुसार आवेदक, राज्य पारेषण युटिलिटी तथा ऐसे राज्यांन्तर्गत पारेषण अनुज्ञापी के मध्य एक त्रिपक्षीय सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा :

आगे यह भी कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र को भी एसटीयू/राज्यान्तर्गत पारेषण अनुज्ञापी द्वारा हस्ताक्षरित उपरोक्त संयोजन सहमति पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराई जायेगी।

(7) संयोजिता प्रदान करते समय एसटीयू उस उप–स्टेशन, या पूलिंग स्टेशन या स्विचयार्ड का नाम विनिर्दिष्ट करेगा जहां संयोजिता प्रदान की जानी है। यदि संयोजिता, वर्तमान या प्रस्तावित लाईन से लूपिंग इन या लूपिंग आउट की द्वारा प्रदान की जानी है तो एसटीयू, संयोजन का बिन्दु तथा उस लाईन का नाम जिस पर संयोजिता प्रदान की जानी है, विनिर्दिष्ट करेगा। एसटीयू, समर्पित पारेषण लाईन की वृहत डिजायन विशेषताऐं तथा समर्पित पारेषण लाईन के पूरा होने के लिए समय सीमा इंगित करेगा।

(8) आवेदक तथा राज्य पारेषण युटिलिटी सहित राज्यान्तर्गत पारेषण अनुज्ञापी, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड की संयोजिता हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 के उपबंधों का अनुपालन करेंगे। संयोजिता प्राप्ति, ग्रिड के साथ किसी ऊर्जा की अदला बदली हेतु किसी आवेदक को हकदार नहीं बनायेगी जब तक कि वह इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार दीर्घावधि अभिगमन, मध्यम अविध उन्मुक्त अभिगमन या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त नहीं कर लेता।

(9) कैप्टिव उत्पादक संयंत्र सहित, उत्पादक स्टेशन जिसे ग्रिड से संयोजिता प्राप्त है उसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात, किसी प्रकार के उन्मुक्त अभिगमन का उपयोग करने से पहले ही, वाणिज्यिक परिचालन में जाने से पूर्व ग्रिड में अपनी अशक्त ऊर्जा के अन्तः क्षेपण द्वारा पूर्ण भार परीक्षण सहित परीक्षण करवाने की अनुमति होगी, इससे ऐसी अनुमति प्रदान करते समय ग्रिड सुरक्षा दृष्टिगत रहेगी। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से भिन्न, उत्पादक स्टेशन या उसकी किसी यूनिट, जिसका शुल्क आयोग द्वारा अवधारित किया जाता हो, से ऐसी अशक्त ऊर्जा का वाणिज्यिक संव्यवहार, शुल्क के निबंधन एवं शर्तों पर लागू विनियमों द्वारा शासित होगा। ऐसे परीक्षण के फलस्वरूप अन्य उत्पादक स्टेशनों से ग्रिड में अन्तः क्षेपित ऊर्जा, आयोग द्वारा अवधारित असंतुलन हेतु दरों (यूआई दरें जहां असंतुलन हेतु दरें आयोग द्वारा अधिसूचित नहीं की गई हैं) पर प्रभारित होगी।

(10) जब तक कि आयोग द्वारा कारण अभिलिखित कर आवेदक को छूट न दी जाये उसे राज्य पारेषण युटिलिटी द्वारा अपेक्षित, ग्रिड से संयोजिता के लिए संयोजन के बिन्दु तक एक समर्पित लाईन का निर्माण करना होगा। ऐसी लाईन की लागत आवेदक को वहन करनी होगी।

7. एक उत्पादक स्टेशन द्वारा वितरण प्रणाली से संयोजिता हेतु आवेदन प्रक्रिया

(1) एक कैप्टिव उत्पादक संयंत्र सहित सभी योग्य उत्पादक स्टेशन जो वितरण प्रणाली से संयोजिता चाह रहे हैं, के वितरण अनुज्ञापी द्वारा नियत की गई प्रक्रिया में निर्धारित प्रपत्र में संयोजिता हेतु वितरण अनुज्ञापी को आवेदन करेंगे।

(2) आवेदन के साथ, देहरादून में देय यूपीसीएल के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा दो लाख रूपये का अप्रतिदेय शुल्क देना होगा।

(3) संयोजिता हेतु आवेदन में, उत्पादक स्टेशन की भौगोलिक अवस्थिति, अन्तःक्षेपित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा तथा ऐसे अन्य विवरणों का समावेश होगा जो कि प्रक्रिया में संबंधित वितरण अनुज्ञापी द्वारा नियत किये जायें।

8. आवेदन का प्रक्रमण तथा एक उत्पादक स्टेशन द्वारा वितरण प्रणाली को संयोजिता प्रदान करना

(1) आवेदन प्राप्त होने पर वितरण अनुज्ञापी, राज्यपारेषण युटिलिटी से परामर्श कर तथा सामंजस्य कर आवेदन का प्रक्रमण करेगा तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजिता हेतु तकनीकी मानक) अधिनियम, 2007 में विनिर्दिष्ट रूप से आवश्यक अन्तः संयोजन अध्ययन करायेगा।

(2) संयोजिता प्रदान करते समय, वितरण अनुज्ञापी उस उप–स्टेशन, या पूलिंग स्टेशन या स्विचयार्ड का नाम विनिर्दिष्ट करेगा जहां संयोजिता प्रदान की जानी है। यदि संयोजिता वर्तमान या प्रस्तावित लाईन के लूपिंग इन तथा लूपिंग आउट द्वारा प्रदान की जानी है तो वितरण अनुज्ञापी संयोजन का बिन्दु तथा उस लाईन का नाम विनिर्दिष्ट करेगा जिस पर संयोजिता प्रदान की जानी है।

(3) वितरण अनुज्ञापी, अपने उप–स्टेशन में अन्तः क्षेपण के बिन्दु तक स्विचयार्ड तथा अन्तः संयोजन जैसी वृहत् डिजायन विशेषताओं तथा इसको पूरा करने में लगने वाली समय सीमा इंगित करेगा। इन सुविधाओं की संरचना की लागत उत्पादक कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी। ऐसे मामलों में जहां कि वितरण अनुज्ञापी के उप–स्टेशन का संवर्धन सम्मिलित है, वहां उत्पादक स्टेशन, वितरण अनुज्ञापी के उप–स्टेशन में बे– ब्रेकर तथा एसएलडीसी को रियल टाईम डाटा के अन्तः संयोजन हेतु उपकरण की लागत भी वहन करनी होगी।

(4) आवेदक तथा वितरण अनुज्ञापी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से संयोजिता हेतु तकनीकी मानक) विनियम, 2007 के उपबन्धों का अनुपालन करेंगे।

(5) जहां संयोजिता प्रदान की जा रही है वहां आवेदक, वितरण अनुज्ञापी के साथ एक संयोजन सहमति पत्र हस्ताक्षरित करेगा।

(6) जब तक आवेदक इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार दीर्घावधि अभिगमन, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त नहीं कर लेता, संयोजिता प्राप्ति उसे ग्रिड के साथ किसी ऊर्जा की अदला बदली का हकदार नहीं बनायेगी।

(7) एक कैप्टिव उत्पादक संयत्र सहित एक उत्पादक स्टेशन, जिसे वितरण प्रणाली से संयोजिता प्रदान की गई है उसे वितरण अनुज्ञापी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र जो ऐसी अनुमति प्रदान करने के समय ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखेगा, से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् किसी प्रकार के उन्मुक्त अभिगमन का उपयोग करने से पहले ही, वाणिज्यिक परिचालन में आने से पहले ग्रिड में इसकी अशक्त ऊर्जा के अन्तः क्षेपण द्वारा पूर्ण भार परीक्षण कराने की अनुमति होगी। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिनके शुल्क का अवधारण आयोग द्वारा किया जाता है, से भिन्न उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट से ऐसी अशक्त ऊर्जा का वाणिज्यिक व्यवहार, शुल्क के निबंधन एवं शर्तो पर लागू विनियमों द्वारा शासित होगा। ऐसे परीक्षण के फलस्वरूप अन्य उत्पादक स्टेशनों से ग्रिड में अन्तः क्षेपित ऊर्जा आयोग द्वारा अवधारित असंतुलन हेतु दरों (यूआई दरें जहां असंतुलन की दरें आयोग द्वारा अधिसूचित नहीं की गयई है) पर प्रभारित होगी।

9. एक उपभोक्ता द्वारा वितरण प्रणाली से संयोजिता हेतु आवेदन प्रकिया

एक उपभोक्ता द्वारा वितरण प्रणाली से संयोजिता, यूईआरसी(नये एचटी एवं ई एचटी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2008 में नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार शासित होगा।

अध्याय–3
उन्मुक्त अभिगमन हेतु साधारण उपबन्ध

10. उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्यता तथा पूरी की जाने वाली शर्तें

(1) इन विनियमों के उपबंधो के अधीन, उत्पादक कंपनियां, कैप्टिव उत्पादक संयत्र तथा उपभोक्ता या इन विनियमों के अध्याय–5 के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित किये जाने वाले पारेषण व अन्य प्रभारों के भुगतान पर कोई पारेषण अनुज्ञापी, राज्य पारेषण युटिलिटी की राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्य होगा।

(2) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन अनुज्ञापी, उत्पादक स्टेशन, कैप्टिव उत्पादक संयंत्र तथा उपभोक्ता, इन विनियमों के अध्याय–5 के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित किये जाने वाले व्हीलिंग तथा अन्य प्रभारों के भुगतान पर वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्य होंगे।

(3) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन, एक औद्योगिक पोषक या अनुज्ञापी के उपकेन्द्र से निकलने वाले एक स्वतन्त्र पोषक के माध्यम से संयोजित, उन्मुक्त अभिगमन क्षमता चाहने वाले, 11 के.वी या इससे ऊपर के अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से संयोजित तथा 100 के.वी.ए. के संविदाकृत भार वाले, राज्य के वितरण अनुज्ञापी के क्षेत्र के भीतर अवस्थित उपभोक्ताओं को उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति होगी, बशर्ते कि ऐसे औद्योगिक पोषक पर सभी उपभोक्ता उन्मुक्त अभिगमन का विकल्प मांगते हों तथा ऐसे उन्मुक्त अभिगमन के अधीन निकासी की युगपत अनुसूची रखते हों।

परन्तु, वे उपभोक्ता जो स्वतन्त्र पोषकों पर नहीं है उन्हें इस शर्त के अधीन उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति होगी कि वे उनकी सेवारत पोषकों पर युटिलिटी द्वारा अधिरोपित रोस्टरिंग प्रतिबंधो को स्वीकार करें।

आगे यह भी कि ऐसे उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के संबंध में वितरण अनुज्ञापी के कर्तव्य, अधिनियम की धारा 42(3) के अनुसार भेदभाव रहित उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने वाले सामान्य वाहक के होंगे।

(4) कोई व्यक्ति जिसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है या जिसके विरूद्ध आवेदन के समय वितरण/पारेषण अनुज्ञापी की दो माह से अधिक की बिलिंग का देय बकाया है, उन्मुक्त अभिगमन हेतु योग्य नहीं होगा।

11. दीर्घावधि अभिगमन या मध्यम अवधि या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु मानदण्ड

(1) दीर्घ अवधि अभिगमन प्रदान करने से पहले राज्य पारेषण युटिलिटि, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली हेतु आवश्यक आवर्धन का उचित ध्यान रखेगी।

(2) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन तब प्रदान किया जायेगा जब वर्तमान पारेषण प्रणाली या निष्पादन के अधीन पारेषण प्रणाली में परिणामी ऊर्जा प्रवाह को स्थान दिया जा सके।

परन्तु, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के एक मात्र उद्देश्य से प्रणाली में कोई आवर्धन नहीं कराया जायेगा:

आगे यह भी कि एक समर्पित पारेषण लाईन का निर्माण, इस विनियम के उद्देश्य से पारेषण प्रणाली का आवर्धन नहीं समझा जायेगा।

अध्याय — 4

आवेदन प्रक्रिया तथा अनुमोदन

12. उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता की श्रेणियां

उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले योग्य उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क तथा प्रक्रमण निवेदन की समय सीमा निम्नलिखित मानदण्डों पर आधारित होगी:

(1) प्रणाली जिससे संयोजित है

(ए) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली

(बी) वितरण प्रणाली

(2) निकासी व अन्तः क्षेपण बिन्दुओं की परस्पर अवस्थिति

(ए) दोनों एक ही प्रणाली के भीतर

(बी) राज्य के भीतर किंतु भिन्न–भिन्न वितरण प्रणालियों में

(सी) राज्य के भीतर राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में अन्तः–क्षेपण बिन्दु

(डी) भिन्न–भिन्न राज्यों में

(3) उन्मुक्त अभिगमन की अवधि

(ए) दीर्घावधि अभिगमन

(बी) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(सी) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन

13. उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन प्रक्रिया

(1) उन्मुक्त अभिगमन हेतु सभी आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर किये जायेंगे तथा इन विनियमों के अनुसार नोडल एजेन्सी के पास जमा किये जायेंगे।

(2) नोडल एजेन्सी, आवेदन शुल्क, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज तथा आवेदन के प्रक्रमण हेतु समय सीमा, निम्नलिखित सारिणी में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे:—

सारिणी–1 66 के.वी. या कम पर संयोजित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता

क्रम सं0	अवधि	निकासी तथा अन्तः क्षेपण बिंदु की परस्पर अवस्थिति	नोडल एजेन्सी	आवेदन शुल्क (₹)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निष्पादन हेतु समय सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिन)
1.	लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन	दोनों एक ही वितरण परस्पर अवस्थिति	संबन्धित वितरण अनुज्ञापी	2000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण	प्रथम बार एस.टी.ओ.ए. आवेदित करने पर 7 कार्य दिवस बाद के एस.टी.ओ.ए. आवेदनों पर 3 कार्य दिवस
2.		दोनो एक ही राज्य के भीतर किंतु भिन्न–भिन्न वितरण अनुज्ञापियों के क्षेत्र में	एस.एल.डी.सी.	5000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, संबंधित वितरण अनुज्ञापियों से सहमति	प्रथम बार आवेदित एस.टी.ओ.ए. पर 7 कार्य दिवस। एस.टी.ओ.ए. आवेदनों पर 3 कार्य दिवस
3.		राज्य के भीतर राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के अन्तः क्षेपण बिंदु	एस.एल.डी.सी.	5000	संबंधित वितरण अनुज्ञापी से सहमति, आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण	प्रथम बार आवेदित एस.टी.ओ.ए. पर 7 कार्य दिवस। बाद के एस.टी.ओ.ए. आवेदनों पर 3 कार्य दिवस
4.		विभिन्न राज्यों में	जिस क्षेत्र में उपभोक्ता अवस्थित है वहां का आर.एल.डी.सी.	5000	जैसा लागू हो उस के अनुसार एस.एल.डी.सी. व वितरण अनुज्ञापियों से सहमति, आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार
5.	मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन	एक ही वितरण अनुज्ञापी के भीतर दोनों	संबन्धित वितरण अनुज्ञापी	50000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एमटीओए की आशयिततिथि से पहले	20

क्रम सं0	अवधि	निकासी तथा अन्तः क्षेपण बिंदु की परस्पर अवस्थिति	नोडल एजेन्सी	आवेदन शुल्क (₹)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निष्पादन हेतु समय सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिन)
					पूरा कर लिया जायेगा।	
6.		दोनो एक ही राज्य के भीतर किंतु भिन्न–भिन्न वितरण अनुज्ञापीयों के क्षेत्र में	एस.टी.यू.	100000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एमटीओए की आशयिततिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा, संबंधित वितरण अनुज्ञापियों से सहमति।	40
7.		राज्य के भीतर राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के अन्तः क्षेपण बिंदु	एस.टी.यू.	100000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एमटीओए की आशयिततिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा, संबंधित एसएलडीसी वितरण अनुज्ञापियों से सहमति।	40
8.		विभिन्न राज्यों में	सी.टी.यू.	100000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एमटीओए की	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार

क्रम सं0	अवधि	निकासी तथा अन्तः क्षेपण बिंदु की परस्पर अवस्थिति	नोडल एजेन्सी	आवेदन शुल्क (₹)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निष्पादन हेतु समय सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिन)
					आशयिततिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा, संबंधित एस.एल.डी.सी. व वितरण अनुज्ञापियों से सहमति	
9.		एक ही वितरण अनुज्ञापी के भीतर दोनों	संबन्धित वितरण अनुज्ञापी	50000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एलटीए की आशयिततिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा।	20
10.	दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन	एक ही राज्य के भीतर दोनो किंतु भिन्न–भिन्न वितरण अनुज्ञापीं	एस.टी.यू.	100000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एलटीए की आशयिततिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा, संबंधित अनुज्ञापियों से सहमति	जहां पारेषण प्रणाली का आवर्धन आपेक्षित नहीं है वहां 120 दिन जहां पारेषण का आवर्धन आपेक्षित है वहां 150 दिन
11.		राज्य के भीतर राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के अन्तः क्षेपण बिंदु	एस.टी.यू.	100000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह	जहां पारेषण प्रणाली का आवर्धन आपेक्षित नहीं है वहां 120 दिन जहां पारेषण का आवर्धन आपेक्षित है

क्रम सं0	अवधि	निकासी तथा अन्तः क्षेपण बिंदु की परस्पर अवस्थिति	नोडल एजेन्सी	आवेदन शुल्क (₹)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	आवेदन के निष्पादन हेतु समय सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिन)
					दर्शाते हुए कि इसे एलटीए की आशयिततिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा, संबंधित अनुज्ञापियों से सहमति।	वहां 150 दिन
12.		विभिन्न राज्यों में	सी.टी.यू.	100000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों में मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एलटीए की आशयिततिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा, संबंधित एस.एल.डी.सी. व वितरण अनुज्ञापियों जो लागू हों, के साथ सहमति	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार

<u>सारिणी–2 132 के.वी. तथा उससे ऊपर पर संयोजित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता</u>

क्रम सं0	अवधि	निकासी तथा अन्तः क्षेपण बिंदु की परस्पर अवस्थिति	नोडल एजेन्सी	आवेदन शुल्क (₹)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाली दस्तावेज	आवेदन के निष्पादन हेतु समय सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिन)
1.	लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन	एक ही राज्य के भीतर दोनो (राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में) **	एस.एल.डी.सी.	5000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण	प्रथम बार एस.टी.ओ.ए. आवेदन हेतु 7 कार्य दिवस। बाद के एस.टी.ओ.ए. आवेदनों पर 3 कार्य दिवस।
2.		राज्य के भीतर वितरण प्रणाली में अन्तः क्षेपण बिंदु	एस.एल.डी.सी.	5000	संबंधित वितरण अनुज्ञापी से सहमति, आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण	प्रथम बार एस.टी.ओ.ए. आवेदन हेतु 7 कार्य दिवस। बाद के एस.टी.ओ.ए. आवेदनों पर 3

क्रम सं0	अवधि	निकासी तथा अन्तः क्षेपण बिंदु की परस्पर अवस्थिति	नोडल एजेन्सी	आवेदन शुल्क (₹)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाली दस्तावेज	आवेदन के निषादन हेतु समय सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिन)
						कार्य दिवस
3.		विभिन्न राज्यों में	उस क्षेत्र का आर.एल.डी.सी. जिसमें उपभोक्ता अवस्थित है	5000	संबंधित एस.एल.डी.सी. तथा वितरण अनुज्ञापियों, जो लागू हो, से सहमति, आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार
4.	मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन	एक ही राज्य के भीतर दोनो (राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में) **	एस.टी.यू.	100000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एसटीओए की आशयिततिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा। एमटीओए की आशयित तिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा।	20
5.		राज्य के भीतर वितरण प्रणाली में अन्तः क्षेपण बिंदु	एस.टी.यू.	100000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एमटीओए की आशयिततिथि से	20

क्रम सं0	अवधि	निकासी तथा अन्तः क्षेपण बिंदु की परस्पर अवस्थिति	नोडल एजेन्सी	आवेदन शुल्क (₹)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाली दस्तावेज	आवेदन के निष्पादन हेतु समय सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिन)
					पहले पूरा कर लिया जायेगा।	
6.		विभिन्न राज्यों में	सी.टी.यू.	100000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एमटीओए की आशयित तिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा, संबंधित एस.एल.डी.सी. तथा वितरण अनुज्ञापियों से सहमति।	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार
7.	दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन	एक ही राज्य के भीतर दोनों (राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में) **	एस.टी.यू.	200000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, बैंक गारंटी, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एलटीए की आशयिततिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा।	जहां पारेषण प्रणाली का आवर्धन आपेक्षित नहीं है वहां 120 दिन। जहां पारेषण का आवर्धन आपेक्षित है वहां 150 दिन।
8.		राज्य के भीतर वितरण प्रणाली में अन्तः क्षेपण बिंदु	एस.टी.यू.	200000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण, बैंक गारंटी, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से	जहां पारेषण प्रणाली का आवर्धन आपेक्षित नहीं है वहां 120 दिन

इसमें नीचे उपविनियम (2) तथा (3) में समाविष्ट कुछ होते हुए भी अन्तर्राज्यीय दीर्घावधि अभिगमन हेतु प्रक्रिया, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में संयोजिता, दीर्घावधि अभिगमन तथा मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2009 का समय समय पर संशोधित कानूनी पुनराधिनियम के अनुसार होगी।

परन्तु, अन्तर्राज्यीय दीर्घावधि अभिगमन चाहने वाले एक वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता, के संबंध में, एस.एल.डी.सी. अपनी सहमति देनें से पूर्व केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अधीन अपेक्षानुसार उपभोक्ता से, सम्बन्धित वितरण अनुज्ञापी की सहमति जमा करने के लिए रहेगा।

(2) **अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सन्निहित किये बिना**

इसमें ऊपर उप–विनियम (1) के उपबंधो के अधीन, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली सन्निहित करने वाला राज्यान्तर्गत दीर्घावधि अभिगमन, इसमें नीचे खण्ड (ए) से (आई) तक के उपबंधो के अनुसार होगा।

(ए) दीर्घावधि अभिगमन प्रदान किये जाने के लिए आवेदन में ये विवरण समाविष्ट होंगे जैसे कि उस सत्ता या उन सत्ताओं के नाम जिनसे विद्युत प्राप्त किया जाने का प्रस्ताव है तथा साथ में ऊर्जा की मात्रा व ऐसे अन्य विवरण जो कि विस्तृत प्रक्रिया में राज्य पारेषण युटिलिटि द्वारा नियत किये जाये:

परन्तु, यदि प्रणाली का आवर्धन अपेक्षित हो तो आवेदक को, इन विनियमों के अध्याय–5 में समाविष्ट विनियम–21 के उप.विनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार इसके पारेषण प्रभार भी वहन करने होंगे:

आगे यह भी कि ऐसे मामलें में जहां आवेदक की अवस्थिति में कोई भौतिक परिवर्तन होता है यां राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का उपयोग करते हुए परस्पर अन्तरण की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन आता है तो एक नया आवेदन किया जायेगा जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जायेगा।

(बी) आवेदक, नोडल एजेन्सी द्वारा मांगी कोई अन्य सूचना उसे उपलब्ध करायेगा, जैसे कि राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का उपयोग करते हुए परस्पर अन्तरण की जाने वाली ऊंर्जा के निर्धारण हेतु आधार तथा सम्पूर्णता के साथ राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के नियोजन हेतु नोडल एजेंसी को सक्षम करने के लिए विभिन्न सत्ताओं या क्षेत्रों से पारेषित की जाने वाली ऊर्जा।

क्रम सं0	अवधि	निकासी तथा अन्तः क्षेपण बिंदु की परस्पर अवस्थिति	नोडल एजेन्सी	आवेदन शुल्क (₹)	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाली दस्तावेज	आवेदन के निष्पादन हेतु समय सीमा (आवेदन की प्राप्ति से दिन)
					पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एलटीए की आशयिततिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा, संबंधित वितरण अनुज्ञापियों से सहमति।	जहां पारेषण का आवर्धन आपेक्षित है वहां 150 दिन
9.		विभिन्न राज्यों में	सी.टी.यू.	200000	आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण,बैंक गारंटी, बैंक गारंटी, पीपीए या ऊर्जा के क्रय–विक्रय का करार, ग्रिड से पहले से ही न जुड़े उत्पादक स्टेशनों के मामले में संयोजिता की पूर्णता का दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए कि इसे एलटीए की आशयिततिथि से पहले पूरा कर लिया जायेगा, संबंधित एस. टी.यू. तथा वितरण अनुज्ञापियों जो लागू हों, के साथ सहमति	केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अनुसार

**उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं से भिन्न उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों पर लागू

14. दीर्घावधि अभिगमन हेतु प्रक्रिया

(1) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली सन्निहित करना

(सी) आवेदन के साथ, पारेषित की जाने वाली कुल ऊर्जा के प्रति एम0डब्लू0 रू0 10,000(दस हजार) की बैंक गारंटी देनी होगी। बैंक गारंटी, विस्तृत प्रकिया के अधीन नियत किये गये तरीके से नोडल एजेन्सी के पक्ष में दी जायेगी।

(डी रू0 10,000 (दस हजार) प्रति एम0डब्लू0 की बैंक गारंटी, ऐसे मामले में जिसमें पारेषण प्रणाली के आवर्धन की आवश्यकता हो, दीर्घकालीन अभिगमन करार के निष्पादन तक तथा जिन मामलों में पारेषण प्रणाली के आवर्धन की आवश्यकता न हो, दीर्घावधि अभिगमन के कार्यान्वित होने तक मान्य व अस्तित्वशील रखी जायेगी।

(ई) आवेदक द्वारा आवेदन वापस ले लिए जाने पर या पारेषण प्रणाली के आवर्धन की आवश्यकता न होने पर ऐसे अधिकारों के कार्यान्वित होने से पहले दीर्घावधि अभिगमन अधिकार त्याग दिये जाने पर नोडल एजेन्सी द्वारा बैंक गारंटी भुनाई जा सकेगी।

(एफ) पूर्वोक्त बैंक गारंटी, विस्तृत प्रकिया में दिये गये उपबंधों के अनुसार, पारेषण प्रणाली के आवर्धन की आवश्यकता होनेपर निर्माण के चरण के दौरान राज्य पारेषण यूटिलिटी को आवेदक द्वारा दी जाने वाली दूसरी बैंक गारंटी में जमा होने के साथ उन्मोचित हो जायेगी।

(जी) आवेदन प्राप्त होने पर, नोडल एजेंसी, उपयोग किये जाने वाले राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में सन्निहित अन्य एजेन्सियों के साथ समन्वय व परामर्श कर आवेदन का प्रक्रमण करेगी तथा जितना संभव हो उतनी शीघ्रता से आवश्यक पद्धति अध्ययन करवायेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दीर्घावधि अभिगमन प्रदान करने के निर्णय पर उपरोक्त विनियम 13 के उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पहुंचा जा सके।

परन्तु यदि नोडल एजेंसी को परामर्श या समन्वय की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है तो वह उपयुक्त निर्देशों के लिए आयोग से सम्पर्क कर सकती है।

(एच) पद्धति अध्ययन के आधार पर, नोडल एजेंसी राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली विनिर्दिष्ट करेगी जो दीर्घावधि अभिगमन प्रदान करने के लिए आवश्यक होगी। यदि वर्तमान राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली की आवर्धन की आवश्यकता हो तो आवेदक को यह सूचित किया जायेगा।

(आई) दीर्घावधि अभिगमन प्रदान करते समय, नोडल एजेंसी आवेदक को वह तिथि बताएगी, जिस तिथि से दीर्घावधि अभिगमन प्रदान किया जाना है तथा इन विनियमों के अध्याय–5 में समाहित विनियम 21 के उपविनियम के द्वितीय परन्तुक के अनुसार आयोग के अनुमोदन के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पारेषण प्रभारों की भागिता की प्रचलित लागतों, मूल्यों तथा कार्यप्रणाली के आधार पर संभावित रूप से देय, उपरोक्त उपविनियम (ए) के प्रथम परन्तुक के अनुसार पारेषण प्रणाली का एक अनुमान भी बतायेगी।

(जे) आवेदक विस्तृत प्रकिया में दिये जाने वाले उपबंधों के अनुसार, राज्य पारेषण युटिलिटी द्वारा दीर्घावधि अभिगमन प्रदान किये जाने की स्थिति में राज्य पारेषण युटिलिटी के साथ दीर्घावधि अभिगमन हेतु एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। राज्य पारेषण युटिलिटी से भिन्न एक राज्यान्तर्गत पारेषण अनुज्ञापी तक दीर्घावधि अभिगमन करार पर हस्ताक्षर करेगा। दीर्घावधि अभिगमन करार में दीर्घावधि अभिगमन के प्रारम्भ होने की तिथि, ग्रिड में ऊर्जा के अन्तःक्षेपण का बिन्दु व ग्रिड से निकाली का बिन्दु तथा अपेक्षित समर्पित पारेषण लाईनें यदि कोई हैं, के विवरण का समावेश होगा। यदि पारेषण प्रणाली के आवर्धन की आवश्यकता होती है तो दीर्घावधि अभिगमन करार में आवेदक तथा पारेषण अनुज्ञापी को सुविधाओं में निर्माण का समय, आवेदक द्वारा दी जाने वाली आवश्यक बैंक गारंटी तथा विस्तृत प्रकिया के अनुसार अन्य विवरणों का समावेश होगा।

(के) दीर्घावधि अभिगमन प्रदान किये जाने के तुरन्त पश्चात् नोडल एजेन्सी राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचित करेगी ताकि इन विनियमों के अधीन प्राप्त लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिए निवेदनों का प्रक्रमण करते समय वह इस पर विचार कर सके।

(एल) दीर्घावधि अभिगमन की अवधि के समाप्त होने पर, उपभोक्ता द्वारा राज्य पारेषण युटिलिटी को लिखित रूप से निवदेन करने पर यह विस्तारित रहेगी। यह लिखित निवेदन, उस अवधि का उल्लेख करते हुए जिसके लिए विस्तार की आवश्यकता है, अभिगमन की समाप्ति से छः माह पूर्व जमा किया जायेगा।

परन्तु यदि उपरोक्त समयावधि के भीतर उपभोक्ता से कोई लिखित निवदेन प्राप्त नहीं होता है तो उक्त दीर्घावधि अभिगमन उस तिथि को समाप्त समझा जायेगा जिस तिथि तक के लिए यह प्रारम्भ में प्रदान किया गया था।

(3) एक ही वितरण के भीतर

उपनिवियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रकिया, अन्तःप्रेषण के बिन्दु तथा निकासी के बिन्दु के एक ही वितरण प्रणाली में अवस्थित होने पर दीर्घावधि अभिगमन के मामलों में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

15. मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रकिया

(1) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सन्निहित करना

उपविनियम (2) में तथा इसमें नीचे कुछ समाहित होते हुए भी अन्तर्राज्यीय मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रक्रिया, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (संयोजिता, अन्तर्राज्यीय पारेषण में दीर्घावधि अभिगमन तथा मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन का प्रदान किया जाना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम 2009 या समय–समय पर इसके कानूनी पुनराधिनियम के अनुसार होगी।

परन्तु अन्तर्राज्यीय मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन चाह रहे, एक वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में, केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अधीन आवश्यक रूप से आर.एल.डी.सी. को सहमति देने से पूर्व एस.एल.डी.सी. उपभोक्ता से सम्बन्धित वितरण अनुज्ञापी की सहमति प्रस्तुत करवायेगा।

(2) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सन्निहित किये बिना

इसमें ऊपर उप विनियम (1) के उपबन्धों के अधीन राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली सन्निहित करने वाला राज्यान्तर्गत मध्यम तक के उपबन्धों के अनुसार होगा।

(ए) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिए आवेदन में, विस्तृत प्रक्रिया के अधीन नियत किये जाने वाले विवरणों का समावेश होगा, जिसमें विशेष रूप से, ग्रिड से निकासी का बिन्दु, ग्रिड में अन्तःक्षेपण का बिन्दु तथा जिस के लिए मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदित किया गया है उस ऊर्जा की मात्रा सम्मिलित होगें।

(बी) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन की प्रारम्भ तिथि, आवेदन किये जाने वाले माह के अन्तिम दिन से 5 माह पूर्व अथवा 1 वर्ष पश्चात् नहीं होगी।

(सी) आवेदन प्राप्त होने पर नोडल एजेन्सी, राज्यान्तर्गत पारेषण में सन्निहित अन्य एजेन्सियों के साथ परामर्श व समन्वय कर जितना शीघ्र संभव हो आवेदन का प्रक्रमण करेगी तथा आवश्यक पद्धति अध्ययन करायेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें ऊपर विनियम 13 के उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने या इन्कार करने का निर्णय ले लिया जाये।

परन्तु यदि नोडल एजेन्सी को परामर्श या समन्वय की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आती है तो वह उपयुक्त निर्देशों के लिए आयोग से सम्पर्क कर सकती है।

(डी) यह सन्तुष्टि हो जाने पर कि विनियम 11 के उप–विनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए मानदण्डों के सम्बन्ध में अपेक्षाएं पूर्ण हो गई हैं, नोडल एजेंसी, आवेदन में उल्लिखित अवधि हेतु मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करेगी।

परन्तु, नोडल एजेंसी कारण अभिलिखित कर, आवेदक द्वारा मांगी गई अवधि से कम समय के लिए मध्यम अवधि उन्मुक्त प्रदान कर सकेगी।

(ई) आवेदक, विस्तृत प्रक्रिया में किये जाने वाले उपबंधों के अनुसार राज्य पारेषण युटिलिटी के साथ मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। राज्य पारेषण युटिलिटी से भिन्न किसी राज्यान्तर्गत पारेषण अनुज्ञापी से मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन की मांग करते समय आवेदक, राज्य पारेषण युटिलिटी तथा राज्यान्तर्गत पारेषण अनुज्ञापी के साथ एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करेगा। मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन करार में, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन के प्रारम्भ होने की तिथि व इसकी समाप्ति की तिथि, ग्रिड में ऊर्जा के अन्तःक्षेपण का बिन्दु तथा ग्रिड से निकासी का बिन्दु, अपेक्षित समर्पित पारेषण लाईनों, यदि कोई हैं, का विवरण, आवदेक द्वारा दी जाने वाली आवश्यक बैंक गांरटी तथा विस्तृत प्रकिया के अनुसार अन्य विवरणों का समावेश होगा।

(एफ) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के तुरन्त पश्चात् नोडल एजेंसी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को सूचना देगी ताकि इन विनियमों के अधीन प्राप्त मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु निवेदनों का प्रकमण करते समय इस पर विचार किया जा सके।

(जी) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन की अवधि समाप्त होने पर मध्यम अवधि ग्राहक, अवधि के नवीनीकरण हेतु किसी अधिभावी अधिमान का हकदार नहीं होगा।

(3) एक ही वितरण प्रणाली के भीतर

ऊपर उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया, एक ही वितरण प्रणाली में अन्तःक्षेपण के बिन्दु तथा निकासी के बिन्दु के अवस्थित होने पर, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन के मामलों में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

16. लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रकिया

(1) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली सन्निहित करना

इसमें नीचे उपनिनियम (2) से (3) तक में कुछ होते हुए भी अन्तर्राज्यीय लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रकिया केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में उन्मुक्त अभिगमन) विनियम, 2008 या समय–समय पर संशोधित इसके कानूनी पुनराधिनियम के अनुसार होगा।

परन्तु अन्तर्राज्यीय लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन चाह रहे एक वितरण प्रणाली से संयोजित उपभोक्ता के सम्बन्ध में, केन्द्रीय आयोग के विनियमों के अधीन अपेक्षित अनुसार, आर.एल.डी.सी. को

अपनी सहमति देने से पूर्व एस.एल.डी.सी. उपभोक्ता से, सम्बन्धित वितरण अनुज्ञापी की सहमति प्रस्तुत करवायेगा।

(2) **अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को सन्निहित किये बिना**

इसमें ऊपर उप–विनियम (1) के उपबन्धों के अधीन राज्यान्तर्गत लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन, इसमें नीचे खण्ड (ए) से (एफ) तक के उपबन्धों के अनुसार होगा।

(ए) **उन्मुक्त अभिगमन अग्रिम रूप से**

(i) जिस माह में आवेदन किया गया है उस माह को प्रथम माह मानते हुए, लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन के लिए नोडल एजेन्सी के पास आवेदन जमा किये जायेंगे।

(ii) प्रत्येक माह हेतु तथा एक माह में प्रत्येक लेनदेन हेतु पृथक आवेदन किये जायेगे।

(iii) नोडल एजेंसी को आवेदन, (आरूप एस.टी.–1) में दिये गये निर्धारित प्रारूप में होगा। इसमें अपेक्षित क्षमता, नियोजित उत्पादन या संविदाकृत ऊर्जा क्रय, अन्तःक्षेपण का बिन्दु, निकासी का बिन्दु, उन्मुक्त अभिगमन के उपयोग की अवधि, परम भार, औसत भार तथा ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी जो कि नोडल एजेंसी द्वारा मांगी जाये, का समावेश होगा। आवेदन के साथ, नोडल एजेन्सी द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या नकद में अप्रतिदेय आवेदन शुल्क देना होगा।

(iv) किसी माह में प्रारम्भ हो रहे उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिए आवेदन, पूर्ववर्ती माह के पन्द्रवें दिन तक "लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन–अग्रिम रूप से,– हेतु आवेदन" लिये लिफाफे में जमा किया जायेगा। उदाहरण के लिए जुलाई माह में प्रारम्भ हो रहे उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए आवेदन, जून के पन्द्रहवे दिन तक प्राप्त किये जायेंगे।

(v) नोडल एजेंसी, आवेदक को "पावती" पर समय तथा तिथि अंकित कर आवेदन की प्राप्ति स्वीकृति देगी।

(vi) उन्मुक्त अभिगमन चाह रहे वितरण अनुज्ञापी का उपभोक्ता, अपने आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञापी को अपने आवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

(vii) संचालन के प्रकार के आधार पर नोडल एजेंसी, इसमें नीचे उपबन्धित तरीके से लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवदनों पर निर्णय लेगी।

(viii) ऊपर उप–खण्ड (IV) के अधीन प्राप्त सभी आवेदन एक साथ में विचार हेतु लिए जायेंगे तथा इन विनियमों के विनियम 20 के अधीन विनिर्दिष्ट आवंटन प्राथमिकता मानदंड के अनुसार प्रक्रमित किये जायेंगे।

(ix) नोडल एजेंसी, संचालन में सन्निहित पारेषण तथा वितरण प्रणाली के किसी तत्व (लाईन व परिवर्तक) के संकुलन हेतु संचालन की जांच करेगी।

(x) नोडल एजेंसी, ऐसे पूर्ववर्ती माह के अधिकतम उन्नीसवें दिन तक उपभोक्ता को भुगतान की अनुसूची के साथ आरूप (आरूप एसटी–2) में उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने अथवा अन्यथा की सूचना देगी।

(xi) यदि उप–खण्ड (x) के अधीन उन्मुक्त अभिगमन नकार दिया जाता है तो नोडल एजेंसी इसके विशिष्ट कारण नियत करेगी।

(बी) आगामी उन्मुक्त अभिगमन

(i) आगामी उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिए आवेदन, अनुसूचीकरण की तिथि से पूर्व तीन दिन के भीतर किंतु आगामी संचालन हेतु अनुसूचीकरण के ठीक पूर्ववर्ती दिन के 13.00 बजे से पहले नोडल एजेंसी द्वारा प्राप्त किये जायेगें।

(ii) उदाहरण के लिए, जुलाई में 25वें दिन के आगामी संचालन हेतु आवेदन उस माह के 22वें दिन या 23वें दिन या 24वें दिन के 13.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।

(iii) नोडल एजेंसी संकुलन की जॉच करेगी तथा उसी आरूप (आरूप–एसटी.2) जैसा कि ऊपर खण्ड (ए) के उपखण्ड (x) में दिया गया है, में अनुमोदन या अन्यथा प्रदान किया जाना संप्रेषित करेगी। लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन के लिए आवेदन के सभी अन्य उपबंध लागू होंगे।

(सी) निविदा की प्रकिया

(i) यदि अगले माह के लिए अग्रिम में उन्मुक्त अभिगमन हेतु उपभोक्ता द्वारा मांगी गई क्षमता, उपलब्ध क्षमता से अधिक है या एस.एल.डी.सी., संचालन में सन्निहित पारेषण व वितरण प्रणाली के किसी तत्व का संकुचन अनुभूत करता है तो आवंटन इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) अपेक्षित संकुलन के सम्बन्ध में एस.एल.डी.सी. का निर्णय अंतिम व बाध्यक होगा।

(iii) एस.एल.डी.सी., आवेदक का आरूप (आरूप एसटी–3) मे निम्नतम मूल्य इंगित करते हुए निविदा लगाने के आमंत्रण हेतु संकुलन तथा निर्णय की सूचना संप्रेषित करेगा।

(iv) एस.एल.डी.सी. अपनी वेबसाईट पर भी निविदा लगाने की सूचना दर्शायेगा।

(v) आयोग के सुसंगत आदेश के आधार पर अवधारित पारेषण व व्हीलिंग प्रभार का निम्नतम मूल्य आरूप एसटी–3 में इंगित किया जायेगा।

(vi) निविदा आमंत्रण आरूप एसटी–3 में इंगित "निविदा बंद होने का समय" तक आरूप (आरूप एसटी–4) में निविदाएं स्वीकार की जायेगी। एक बार जमा हो जाने पर निविदा में आशोधन/संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(vii) यदि कोई ग्राहक निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है तो उसका आवेदन वापस ले लिया गया समझा जायेगा तथा प्रक्रमित नहीं किया जायेगा।

(viii) एस.एल.डी.सी., निविदा जमा करने के लिए समय/तिथि के विस्तार हेतु कोई निवेदन ग्रहण नहीं करेगा।

(ix) निविदा दाता उस मूल्य वर्ग में दर (दो पूर्ण संख्याओं तक पूर्णांकित) बतायेगें जिसमें न्यूनतम कीमत अवधारित की गई है।

(x) बताई गई कीमत अवरोही कम में रखी जायेगी तथा उपलब्ध क्षमताओं का आवंटन, उपलब्ध क्षमता के निःशेष हो जाने तक ऐसे अवरोही कम में प्रदान किया जायेगा।

(xi) दो या अधिक ग्राहकों द्वारा समान कीमत बताने पर, ऊपर उप खण्ड (x) के अधीन किसी चरण में अवशिष्ट उपलब्ध क्षमता से आंवटन, ऐसे ग्राहकों द्वारा मांगी जा रही क्षमता के समानुपात में किया जायेगा।

(xii) वे सभी ग्राहक जिनके पक्ष में पूर्ण क्षमता आवंटित की गई है वे निविदाओं से प्राप्त अधिकतम कीमत का भुगतान करेंगें।

(xiii) वे ग्राहक जिन्हें कम क्षमता आवंटित की गई है, वे उनके द्वारा बताई गई कीमत का भुगतान करेंगें।

(xiv) एस.एल.डी.सी. उन निविदाओं को रद्द करेगा जो अपूर्ण, किसी प्रकार से अस्पष्ट या निविदा प्रक्रिया के अनुरूप न हो।

(xv) वह सफल निविदादाता, जिसके पक्ष में क्षमताओं का आवंटन किया गया है वे इस खण्ड के उपखण्ड (xii) या (xiii) के अधीन निविदा द्वारा अवधारित पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार, यथास्थिति का भुगतान करेंगें।

(डी) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन द्वारा आरक्षित क्षमता दूसरों को अन्तरणीय नहीं है।

(ई) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा आरक्षित क्षमता के अभ्यर्पण या इसमें कमी या इसके रद्द होने के फलस्वरूप उपलब्ध क्षमता, इन विनियमों के अनुसार किसी अन्य लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के लिए आरक्षित की जायेगी।

(एफ) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन की अवधि समाप्त होने पर लघु अवधि ग्राहक, अवधि के नवीनीकरण हेतु किसी अधिभावी अधिमान का हकदार नहीं होगा।

(3) एक ही वितरण प्रणाली के भीतर

ऊपर उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रकिया, वहां लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन के मामलों में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी जहां अन्तःक्षेपण का बिन्दु तथा निकासी का बिन्दु एक ही वितरण अनुज्ञापी में अवस्थित हों।

17. उन्मुक्त अभिगमन हेतु एस.टी.सी., एस.एल.डी.सी. या वितरण अनुज्ञापी द्वारा सहमति

(1) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली सन्निहित करना

(ई) जहां नोडल एजेन्सी ने, आवेदन की प्राप्ति की तिथि से दो (2) दिनों के भीतर आवेदन में किसी कमी या त्रुटि या आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीन (3) कार्य दिवसों को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इन्कार या सहमति संप्रेषित नहीं की है वहॉ सहमति प्रदान कर दी गई समझी जायेगी।

(3) एक ही वितरण प्रणाली के भीतर

जब अन्तःक्षेपण का बिन्दु या निकासी का बिन्दु एक ही वितरण प्रणाली में अवस्थित हों तो ऊपर उप–विनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले आवेदक पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

18. व्यतिक्रमियों से आवेदनों पर विचार

इन विनियमों मे समावेशित कुछ होते हुए भी, नोडल एजेन्सी इन विनियमों के उपबन्धों, विशेष रूप से इसमें नीचे उद्धरणीय प्रभारों के समय से भुगतान सम्बन्धी उपबंधों के उल्लघंन आधार पर उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन संक्षेपतः नामंजूर कर सकने के लिए स्वतंत्र होगी।

19. वितरण प्रणाली से संयोजित उत्पादक स्टेशनों तथा उपभोक्ताओं से भिन्न, योग्य सत्ताओं द्वारा आवेदन

उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में इस अध्याय में नियत किये गये अनुसार आवेदन जमा करने तथा उसके प्रकमण की प्रकिया, विद्युत व्यवसाय अनुज्ञापियों, वितरण अनुज्ञापियों तथा एस.टी.यू.सी. से जुड़ी उत्पादन कंपनियों पर भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी। वितरण प्रणाली से संयोजित उत्पादक स्टेशन के सम्बन्ध में उत्पादक कम्पनी द्वारा उन्मुक्त अभिगमन आवेदन के जमा करने व उसके प्रकमण हेतु प्रकिया, नीचे अध्याय–9 में विनिर्दिष्ट की गई है।

20. आवंटन प्राथमिकता

(1) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमन के आवंटन हेतु प्राथमिकता निम्नलिखित मानदण्डों पर निर्णित की जायेगीः

(ए) बिना इस बात का विचार किये कि उन्मुक्त अभिगमन का निवेदन दीर्घअवधि, मध्यम अवधि या लघु अवधि के लिए है, उन्मुक्त अभिगमन क्षमता के आवंटन में एक वितरण अनुज्ञापी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

दीर्घावधि अभिगमन प्रदान करने के लिए आवेदन के मामले में एस.टी.यू. तथा मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन व लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान के मामले में एस.एल.डी.सी., अपनी सहमति या अन्यथा, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में संयोजिता, दीर्घावधि अभिगमन व मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करना तथा सम्बन्धित मामले) अधिनियम, 2009 तथा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में उन्मुक्त अभिगमन) विनियम 2008 या समय–समय पर इनके कानूनी पुनराधिनियमों के उपबंधों के अनुसार संप्रेषित करेंगे। यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी से संयोजित है तो उक्त वितरण अनुज्ञापी अपनी सहमति या अन्यथा आवेदक के निवेदन की तिथि से 3 दिन के भीतर संप्रेषित करेगा।

(2) **अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली सन्निहित किये बिना**

(ए) राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु चाह रहे आवेदन का प्रक्रमण करते समय नोडल एजेन्सी निम्नलिखित का सत्यापन करेगी, अर्थात,

(i) प्रवृत्त राज्य ग्रिड संहिता के उपबन्धों के अनुसार समय खण्ड वार ऊर्जा मीटरिंग तथा लेखा हेतु आवश्यक संरचना का अस्तित्व, तथा

(ii) पारेषण व या वितरण नेटवर्क में क्षमता की उपलब्धता।

(बी) जहां पारेषण व /या वितरण नेटवर्क में क्षमता की उपलब्धता तथा आवश्यक संरचना का अस्तित्व स्थापित कर लिया गया है, वहाँ नोडल एजेन्सी, आवेदन प्राप्ति के तीन (3) कार्य दिवसों के भीतर ई–मेल या फैक्स या संप्रेषण में सामान्यतः मान्य किसी अन्य माध्यम द्वारा आवेदक को अपनी सहमति से अवगत करायेगी।

(सी) यदि नोडल एजेन्सी यह पाती है कि सहमति हेतु आवेदन पत्र किसी रूप में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण है तो वह आवेदन प्राप्ति के दो (2) कार्य दिवसों के भीतर ई–मेल या फैक्स या संप्रेषण के सामान्यतः मान्य किसी अन्य माध्यम द्वारा आवेदक को कमी या त्रुटि से अवगत करायेगा।,

(डी) यदि आवेदन व्यवस्थित रूप से पाया जाता है किन्तु नोडल एजेन्सी आवश्यक संरचना का अस्तित्व न होने या अधिशेष क्षमता की अनुपलब्धता के आधार पर सहमति देने से इन्कार करती है तो इस इन्कार का कारण बताते हुए, आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीन (3) कार्य दिवसों के भीतर ई–मेल या फैक्स या संप्रेषण के सामान्यतः मान्य किसी अन्य माध्यम द्वारा आवेदक को इस इंकार से अवगत कराया जायेगा।

(बी) दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदक को वितरण अनुज्ञापी के पश्चात् अगली प्राथमिकता दी जायेगी।

(सी) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदक को दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदक के पश्चात् अगली प्राथमिकता दी जायेगी।

(डी) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदक को मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदक के पश्चात् अगली प्राथमिकता दी जायेगी।

(ई) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदक हेतु आवंटन प्राथमिकता, क्षमता की उपलब्धता के अधीन होगी।

(एफ) वर्तमान उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को, सम्बन्धित वर्ग के अधीन, नये उन्मुक्त अभिगमन आवेदक से उच्च प्राथमिकता होगी। बशर्ते कि पहला, उन्मुक्त अभिगमन की वर्तमान अवधि की समाप्ति से तीस दिन पहले अपने नवीनीकरण हेतु आवेदन करे।

(जी) जब आवदेक द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकता, उपलब्ध क्षमता से अधिक है तथा उक्त आवेदक उपलब्ध क्षमता तक अपनी आवश्यकता को सीमित करने में सक्षम नहीं है तो अगली निम्न प्राथमिकता वाले आवेदक के निवेदन को विचार हेतु लिया जायेगा।

अध्याय 5

उन्मुक्त अभिगमन प्रभार

21. पारेषण प्रभार एवं व्हीलिंग प्रभार

(1) पारेषण प्रभार

पारेषण प्रणाली का उपयोग कर रहे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक इसमें नीचे वर्णित प्रभारों का भुगतान करेंगे।

(ए) अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु समय–समय पर केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में।

(बी) राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु– अपनी प्रणाली के उपयोग हेतु एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा राज्य पारेषण युटिलिटी/पारेषण अनुज्ञापी को देय पारेषण प्रभारो का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा।

पारेषण प्रभार = $ATC/PLS_{T}x365$(रू0/MW-दिन)

जहाँ

ATC= पिछले वर्ष के लिए राज्य पारेषण प्रणाली हेतु आयोग द्वारा अवधारित वार्षिक पारेषण प्रभार

PLS_{T}= उस वर्ष में राज्य पारेषण प्रणाली द्वारा सेवित चरम भार

परन्तु पारेषण प्रभार, संविदाकृत क्षमता/अनुसूचित भार या वास्तविक ऊर्जा प्रवाह, जो भी उच्चतर हो, के आधार पर देय होगे। एक दिन के एक भाग के लिए उन्मुक्त अभिगमन हेतु पारेषण प्रभार यथानुपात आधार पर देय होगें।

आगे यह भी कि जहां उन्मुक्त अभिगमन हेतु उपयोग किये जानें वाली समर्पित पारेषण प्रणाली सहित पारेषण प्रणाली का आवर्धन, एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा अनन्य रूप से उपभोग किया जा रहा या अनन्य उपयोग हेतु निर्मित किया गया है, वहां ऐसी समर्पित प्रणाली हेतु पारेषण प्रभार, अपनी सम्बन्धित प्रणाली के लिए पारेषण प्रभार आयोग द्वारा अनुमोदित करवाये जायेंगे तथा उस समय तक सम्पूर्ण रूप से ऐसे उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा वहन किये जायेंगे जब तक कि अधिशेष क्षमता आवंटित की जाए तथा अन्य व्यक्तियों या उद्देश्यों द्वारा उपयोग में लाई जायें।

(2) व्हीलिंग प्रभार

अपनी प्रणाली के उपयोग हेतु एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा वितरण अनुज्ञापी को देय व्हीलिंग प्रभार निम्नलिखित रूप से अवधारित किये जायेंगें :

व्हीलिंग प्रभार = $(ARR-PPC-TC)/PLS_D x365$(रू0 /MW–दिन)

जहाँ

ARR= पिछले वर्ष में वितरण अनुज्ञापीं की वार्षिक राजस्व आवश्यकता

PPC= पिछले वर्ष में वितरण अनुज्ञापी की कुल ऊर्जा क्रय लागत

TC= पिछले वर्ष के लिए राज्य व अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हेतु वितरण अनुज्ञापी द्वारा भुगतान किये गये कुल पारेषण प्रभार।

PLS_D= पिछले वर्ष में, सम्बन्धित वितरण प्रणाली द्वारा सेवित कुल चरम भार

परन्तु व्हीलिंग प्रभार संविदाकृत क्षमता/अनुसूचित भार या वास्तविक ऊर्जा प्रवाह, जो भी उच्चतर हो, के आधार पर देय होंगे। दिन के एक भाग में दियें उन्युक्त अभिगमन हेतु व्हीलिंग प्रभार यथानुपात आधार पर देय होंगें:

आगे यह और कि जहाँ उन्मुक्त अभिगमन हेतु उपयोग की जाने वाली समर्पित वितरण प्रणाली एक उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के अनन्य उपयोग हेतु निर्मित की गई है वहाँ ऐसी समर्पित प्रणाली के लिये व्हीलिंग प्रभार, अपनी संबन्धित प्रणालियों के लिये वितरण अनुज्ञापी द्वारा निकाले जायेंगे तथा उस समय तक संपूर्ण रूप से उस उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा वहन किये जायेंगे जब तक कि अधिशेष क्षमता अन्य व्यक्तियों या उद्देश्यों द्वारा आबंटित की जाती है व उपयोग में लाई जाती है।

(3) ऊपर उप–विनियम (1) व (2) में समावेशित कुछ होते हुए भी ऐसे उत्पादकों के मामले में, जिन्होनें उत्तराखण्ड सरकार के साथ कार्यान्वयन करार हस्ताक्षरित किया है तथा व्हीलिंग प्रभार (ऐसे कार्यान्वयन करार के हस्ताक्षरित किये जाते समय पारेषण तथा वितरण अनुज्ञापी के रूप में यू.पी. सी.एल. को देय पारेषण प्रभार सहित) उक्त कार्यान्वयन करार में उपबांधित किये गये है तो व्हीलिंग प्रभार (पारेषण प्रभार सहित) उक्त कार्यान्वयन करार के ऐसे उपबंधो के अनुसार होंगे।

22. अनुसूचीकरण तथा प्रणाली परिचालन प्रभार

अनुसूचीकरण तथा प्रणाली परिचालन प्रभार, उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा निम्नलिखित दरों पर देय होंगे:—

(1) अन्तर्राज्यीय उन्मुक्त अभिगमन के सम्बन्ध में:

(ए) दीर्घावधि अभिगमन तथा मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) अधिनियम की धारा 28 (4) के अधीन केन्द्रीय अयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एकीकृत भार प्रेषण तथा संचार योजना हेतु प्रभारों सहित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र शुल्क एंव प्रभार।

(ii) अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार।

(बी) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार।

(2) राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के सम्बन्ध में:

(ए) दीर्घावधि अभिगमन तथा मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) दीर्घावधि अभिगमन तथा मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, अधिनियम की धारा 32 की उप धारा (3) के अधीन आयोग द्वारा अवधारित एस.एल.डी.सी. प्रभार के भुगतान का जिम्मेदार होगा।

(बी) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) एक लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा एस.एल.डी.सी. को प्रत्येक लेन देन हेतु प्रति दिन या दिन के एक भाग के लिये रू0 2000.00 की दर सामूहिक परिचालन प्रभार का समय समय पर आयोग द्वारा निर्धारित प्रभार देय होंगें।

स्पष्टीकरणः परिचालन प्रभार में अनुसूचीकरण तथा प्रणाली परिचालन, ऊर्जा लेखाकरण, वास्तविक आधार पर अनुसूची में संशोधन लाने हेतु शुल्क तथा संग्रहण व संवितरण प्रभार सम्मिलित हैं।

23. प्रतिसहायिकी अधिभार

(1) यदि उन्मुक्त अभिगमन सुविधा का उपयोग राज्य के वितरण अनुज्ञापी के सहायता प्राप्त उपभोक्ता द्वारा किया जा रहा है तो वह उपभोक्ता पारेषण व/या व्हीलिंग प्रभारों के अतिरिक्त, आयोग द्वारा निर्धारित प्रति सहायिकी अधिभार, उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से माह के दौरान निष्कासित वास्तविक ऊर्जा के आधार पर देय होंगें। अधिभार की राशि का भुगतान आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञापी को किया जायेगा जिससे, उन्मुक्त अभिगमन लेने से पूर्व उपभोक्ता आपूर्ति प्राप्त कर रहा था।

परन्तु, कमी होने तथा वितरण अनुज्ञापी द्वारा भार कटौती की स्थिति में, आयोग एक निम्नतर अधिभार तय कर सकता है:

आगे यह और कि यदि एक दीर्घावधि/मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को पारेषण/वितरण अभिगमन प्रदान किया जाता है तथा कोई व्यक्ति जिसने स्वयं के गन्तव्य तक विद्युत ले जाने के लिये एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया हुआ है तो ऐसा अधिभार उद्ग्रही नहीं किया जायेगा।

आगे यह भी कि ऊर्जा आपूर्ति स्थिति या उन्मुक्त अभिगमन चाह रहे उपभोक्ता के भार में पर्याप्त परिवर्तन आता है तो आयोग जैसे ही व जब आवश्यक हो प्रति सहायिकी अधिभार की समीक्षा करेगा।

(2) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु प्रति सहायिकी अधिभार निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार अवधारित किया जायेगाः

एस = टी — सी

जब कि,

एस — प्रति सहायिकी अधिभार है,

टी — उपभोक्ताओं की सुसंगत श्रेणी द्वारा देय शुल्क है

सी — उस अवधि के दौरान वितरण अनुज्ञापी की आपूर्ति की औसत लागत है जिस अवधि के लिये उन्मुक्त अभिगमन मांगा गया है।

24. अतिरिक्त अधिभार

(1) अपने आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञापी से भिन्न व्यक्ति से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त कर रहा एक उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, वितरण अनुज्ञापी को, अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन उपबंधित रूप में आपूर्ति के अपने दायित्व से उत्पन्न ऐसे वितरण अनुज्ञापी की स्थिर लागत पूरी करने के लिये व्हीलिंग प्रभार तथा प्रति सहायिकी प्रभार के अतिरिक्त व्हीलिंग प्रभार पर एक अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करेगा।

(2) यह अतिरिक्त अधिभार केवल तभी लागू होगा जब ऊर्जा क्रय प्रतिबंधता के संबंध में अनुज्ञापी का दायित्व अटका हुआ है तथा अटके रहना जारी है या ऐसे नियन्त्रण के फलस्वरूप स्थिर लागतें वहन करने के लिये अपरिहार्य दायित्व व आपतन है। तथापि, नेटवर्क आस्तियों से संबधित स्थिर लागतें व्हीलिंग प्रभारों के माध्यम से वसूली जायेंगी।

(3) वितरण अनुज्ञापी, आयोग के पास छःमाही आधार पर, उन स्थिर लागतों का विस्तृत परिकलन विवरण जमा करेगा जोकि अनुज्ञापी, आपूर्ति के अपने दायित्व की ओर उपगत कर रहा है।

आयोग, वितरण अनुज्ञापी द्वारा जमा किये गये स्थिर लागत के परिकलन के विवरण की समीक्षा करेगा तथा कोई आपत्तियां, यदि हैं, तो उन्हें प्राप्त करेगा तथा अतिरिक्त अधिभार की राशि का अवधारणा करेगा:

परन्तु, आयोग द्वारा इस प्रकार अवधारित किया गया कोई अतिरिक्त अधिभार केवल उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं पर लागू होगा।

(4) प्रति यूनिट आधार पर अवधारित अतिरिक्त अधिभार का उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से, माह के दौरान निष्कासित वास्तविक ऊर्जा के आधार पर उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता द्वारा मासिक रूप से भुगतान किया जायेगा।

परन्तु, यदि वितरण अधिगमन ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने अपने उपयोग के लिये गंतव्य तक विद्युत ले जाने को लिये एक कैप्टिक उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है तो अतिरिक्त अधिभार उदग्रहीत नहीं किये जायेंगे।

25. वितरण अनुज्ञापी से उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा की निकासी हेतु उद्धत प्रभार

(1) ऐसे मामलों में जहाँ कि उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से ऊर्जा अन्तःक्षेपित करने वाली वितरण प्रणाली से संयोजित या उन्मुक्त अभिगमन के अधीन उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को आपूर्ति कर रहे उत्पादक के आंउटेजज को स्टार्ट–अप ऊर्जा की आवश्यकता है तो अनुज्ञापी के उपभोक्ता को लागू भार कटौती के अधीन वितरण अनुज्ञापी द्वारा उद्धत व्यवस्था प्रदान की जायेगी तथा अनुज्ञापी,

प्रचालित दर सूची में उपभोक्ता की उस श्रेणी के लिये प्रभार की अस्थायी दर के अधीन शुल्क वसूल करने का हकदार होगाः

परन्तु, यदि उद्धत व्यवस्थाओं की मांग निरन्तर प्रक्रिया उद्योगो द्वारा की जाती है तो अनुज्ञापी, ऊजा की व्यवस्था करने में सन्निहित वास्तविक लागत के आधार पर प्रभार वसूलेगा।

आगे यह भी कि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के पास किसी अन्य स्त्रोत से उद्धत ऊर्जा की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। साथ ही यह भी कि अन्तः स्थापित उपभोक्ताओं के लिये कोई उद्धत प्रभार नहीं होगें।

अध्याय—6

अनुसूचीकरण, मीटरिंग, पुनरीक्षण तथा हानियां

26. अनुसूचीकरण:

(1) इस विनियम के उत्तरवर्ती उपविनियम में कुछ समाविष्ट होते हुए भी अन्तर्राज्यीय उन्मुक्त अभिगमन संचालन का अनुसूचीकरण केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में होगा।

(2) पूर्ववर्ती खण्ड के अधीन, क्षमता का विचार किये बिना सभी उपभोक्ताओं तथा उत्पादक स्टेशनों के संबंध में राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन संचालन, राज्य ग्रिड संहिता के उपबंधो के अनुसार एस.एल. डी.सी. द्वारा अनुसूचित किये जायेंगे।

27. मीटरिंग

(1) सभी उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं (अन्तः स्थापित उपभोक्ताओं को छोड़कर) तथा क्षमता का विचार किये बिना सभी उत्पादक स्टेशनों को राज्य पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी, यथास्थिति द्वारा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों की लागत पर विशेष ऊर्जा मीटर उपलब्ध कराये जायेंगें। अन्तः स्थापित उपभोक्ताओं के लिये वर्तमान टी.ओ.डी. मीटर्स पर्याप्त होंगे।

(2) संस्थापित विशेष ऊर्जा मीटर्स, राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार समय खण्ड वार सक्रिय ऊर्जा हेतु समय भेदित माप तथा प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा के वोल्टेज भेदित माप के सक्षम होंगे।

(3) विशेष ऊर्जा मीटर्स सदैव अच्छी स्थिति में रखे जायेंगे।

(4) विशेष ऊर्जा मीटर्स, राज्य पारेषण अनुज्ञापी या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण हेतु खुले होंगे।

(5) सभी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक सी.ई.ए. के मीटरिंग मानकों के पाबन्द रहेंगे।

28. पुनरीक्षण अनुसूचित ऊर्जा का पुनरीक्षण आई.ई.जी.सी. या राज्य ग्रिड संहिता, यथा स्थिति के उपबंधो के अनुसार अनुमोदित होगा

29. हानियाँ

(1) पारेषण हानियाँ: प्रणाली पारेषण हानियाँ, सभी उन्मुक्त अभिगमन ग्रहकों द्वारा वस्तुरूप में देय होंगी।

(ए) अन्तर्राज्यीय पारेषण

(i) दीर्घावधि अभिगमन तथा मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन क्रेता केन्द्रीय अयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उपबंधो के अनुसार पारेषण प्रणाली में प्रभाजित ऊर्जा हानियों को वहन करेंगें।

(ii) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन

क्रेता तथा विक्रेता केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उपबंधो के अनुसार पारेषण प्रणाली में प्रभाजित ऊर्जा हानियों को आमेलित करेंगे।

(बी) राज्यान्तर्गत पारेषण

(i) राज्यान्तर्गत प्रणाली हेतु पारेषण हानियां, लागू वर्ष हेतु अपने शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित की जायेंगी, उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा वास्तविक ऊर्जा निकासी के समानुपात में प्रभाजित की जायेंगी तथा वस्तु रूप में देय होंगी।

(2) **वितरण हानिः** प्रणाली वितरण हानियाँ लागू वर्ष के लिये अपने शुल्क आदेश में विभिन्न वोल्टेज के लिये आयोग द्वारा अवधारित रूप में राज्य के भीतर अपनी यूनिटों को ऊर्जा आपूर्ति करने वाले कैप्टिव सयंत्रों तथा सभी उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं द्वारा देय होंगे। वितरण प्रणाली हानियाँ उन उत्पादकों तथा व्यवसायियों द्वारा वस्तु रूप में भी देय होंगी जो अनुज्ञापी को वितरण प्रणाली के माध्यम से संयोजित है।

उदाहरणः

(ए) राज्य के बाहर उपभोक्ता को आपूर्ति कारने वाले अनुज्ञापी की 33 के.वी. वितरण प्रणाली से जुड़े अन्तः स्थापित उत्पादकः

(i)	अन्तः संयोजित बिंदु पर अन्तः क्षेपित ऊर्जा	8.00 एम.डब्लू
(ii)	15 प्रतिशत की दर से वितरण प्रणाली हानियाँ	1.20 एम.डब्लू
(iii)	पारेषण स्तर पर अन्तः क्षेपित ऊर्जा	6.80 एम.डब्लू
(iv)	1.86 प्रतिशत की दर से राज्य पारेषण प्रणाली हानियाँ	0.13 एम.डब्लू
(v)	राज्य की परिधि में कुल अनुसूचित (एस.एल.डी.सी. हेतु)	6.67 एम.डब्लू
(vi)	4 प्रतिशत की दर से एन.आर. पारेषण हानियाँ	0.27 एम.डब्लू
(vii)	लाभार्थी को उपलब्ध कुल	6.40 एम.डब्लू

नोटः उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों की पारेषण हानियाँ भी लागू होंगी यदि एन.आर क्षेत्र के बाहर ऊर्जा का पारेषण किया जा रहा है

(बी) उन्मुक्त अभिगमन के अधीन राज्य के बाहर से ऊर्जा का उपयोग कर रहे वितरण अनुज्ञापी के उपभोक्ता (जैसे ऊर्जा विनियम से):

(i)	अपने परिक्षेत्र पर उपभोक्ता द्वारा निकासित ऊर्जा (A)	8.00 एम.डब्लू
(ii)	15 प्रतिशत की दर से वितरण प्रणाली हानियाँ (B)	
(iii)	वितरण परिधि में अपेक्षित ऊर्जा (C=A/(1-B))	9.40 एम.डब्लू
(iv)	पारेषण हानि = 1.86 प्रतिशत (D)	
(v)	राज्य परिधि में अनुसूचित (E=C/(1-D))	9.60 एम.डब्लू
(vi)	केन्द्रीय पारेषण हानियाँ (F)	0.27 एम.डब्लू
(vii)	विनियम से अन्तर्बद्ध की जाने वाली ऊर्जा (G=E/(1-F))	10.0 एम.डब्लू

उपरोक्त के अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रो की पारेषण हानियाँ भी लागू होंगी यदि ऊर्जा की निकासी एन. आर. क्षेत्र के बाहर से की जा रही है।

नोटः सुसंगत शुल्क आदेश में प्रदत्त उच्च वोल्टेज छूट, उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं में लिये वितरण हानि तय करते समय उपयुक्त रूप से नियमित की जायेगी। इस नीचे उदाहरण स्वरूप दर्शाया गया है:

उदाहरण:

(i)	132 के.वी. प्रतिशत हेतु उच्च वोल्टेज छूट	=	A
(ii)	एच.टी. उद्योग श्रेणी से औसत वसूली दर	=	Rs. X/kWh
(iii)	औसत ऊर्जा क्रय दर	=	Rs. Y/kWh
(iv)	छूट हेतु समकक्ष हानि प्रतिपूर्ति	=	x/y of A
(v)	सुसंगत श्रेणी को प्रभारित औसत हानि प्रतिशत	=	B
(vi)	एच.टी. छूट पा रहे उपभोक्ता को प्रभारी हानि (प्रतिशत)	=	B-X/y of A

अध्याय – 7

असंतुलन तथा प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा प्रभार

30. असंतुलन प्रभार

(1) दीर्घावधि अभिगमन या मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन या लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के अनुसरण में सभी संचालनों का अनुसूचीकरण, अन्तर्राज्यीय संचालन हेतु आई.ई.जी.सी. के सुसंगत उपबंधो तथा राज्यान्तर्गत संचालन हेतु राज्य ग्रिड संहिता के अनुसार आगामी दिन के आधार पर किया जायेगा।

(2) 10 एम.डब्लू से कम भार वाले उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं द्वारा विचलन होने पर, लागू संस्वीकृत उन्मुक्त अभिगमन भार तथा वास्तविक निकासी के मध्य का अंतर, मासिक आधार पर टाईम ऑफ डे (टी.ओ.डी.) मीटर्स के द्वारा लेखित होगा तथा आयोग द्वारा अवधारित असंतुलन प्रभार की दर पर तय होगा, (जहाँ असंतुलन प्रभार आयोग द्वारा अवधारित नहीं किया गया है, वहाँ केन्द्रीय आयोग द्वारा अवधारित यू.आई.दर लागू होगी) वितरण प्रणाली की अनुपलब्धता अनानुसूचित भार कटौती के परिणाम–स्वरूप अल्पनिकासी होने पर, उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञापी की औसत ऊर्जा क्रय लागत पर वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(3) 10 एम डब्लू या इससे ऊपर भार वाले उपभोक्ताओं तथा क्षमता का विचार किये बिना उत्पादक स्टेशनों के संबन्ध में, अनुज्ञापी तथा वास्तविक अन्तःक्षेपण/निकासी के मध्य विचलन, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार शुद्व मीटरिंग पर आधारित साप्ताहिक चक्र पर एस.एल.डी.सी. द्वारा जारी असतुंलन संचालन हेतु मिश्रित लेखों के आधार पर तय होगा।
(उन राज्यों के संबंध में, जहाँ असंतुलन प्रभार आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं है वहाँ "आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार वाक्यांश"के स्थान पर केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार" प्रतिस्थापित किया जायेगा।)

(4) असंतुलन प्रभारो के भुगतान को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी तथा संबन्धित संघटक (अनुज्ञापी या उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, यथास्थिति) एस.एल.डी.सी. द्वारा परिचालित राज्य संतुलन पूल लेखा में, विवरण जारी होने के 10 (दस) दिन के भीतर, इंगित राशि का भुगतान करेंगे। वह व्यक्ति जिसने असंतुलन प्रभारों के कारण पैसा प्राप्त करना है उसे तब तीन (3) कार्य दिवसों के भीतर राज्य पूल लेखे में से भुगतान किया जायेगा।

(5) यदि उपरोक्त असंतुलन प्रभारों के विरूद्व भुगतान दो दिन से अधिक अर्थात विवरण जारी होने की तिथि से बारह (12) दिनों से अधिक विलंबित होता है तो व्यतिक्रमी पक्ष को विलंब के प्रतिदिन हेतु

0.04 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा। इस प्रकार वसूले गये ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा। जिसने वह राशि प्राप्त करनी थी जो विलंबित हुई है। चिर भुगतान व्यतिक्रम, यदि कोई है, की उपचारी कार्यवाई प्रारम्भ करने के लिये, आयोग को एस. एल.डी.सी. द्वारा रिपोर्ट की जायेगी।

31. प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा प्रभार

उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के संबंध में (अन्तः स्थापित उपभोक्ताओं को छोड़कर), उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा प्रभारों के लिये भुगतान, राज्य ग्रिड संहिता में इस उपबंध के अनुबंधित होने तक आई.ई.जी.सी. में अनुबंधित उपबंधो के अनुसार किया जायेगा।

अध्याय – 8

वाणिज्यिक मामले

32. बिलिंग, वसूली तथ संवितरण

इन विनियमों के अधीन देय प्रभारों के संबंध में बिलिंग निम्नलिखित कार्याविधि के अनुसार की जायेगी:

(1) अन्तर्राज्यीय संचालन

(ए) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) सी.टी.यू. व एस.टी.यू. प्रणालियों के उपयोग हेतु पारेषण प्रभारों तथा लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमनकी ओर आर.एल.डी.सी. तथा एस.एल.डी.सी. की देय परिचालन प्रभारों की वसूली तथा संवितरण, केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यावधि के अनुसार नोडल आर.एल.डी.सी. द्वारा किया जायेगा।

(ii) वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से जुड़ा लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक ऐसे वितरण अनुज्ञापी को, नोडल एजेन्सी द्वारा लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने से 3 दिनों के भीतर वितरण अनुज्ञापी को देय व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान करेगा।

(बी) दीर्घावधि अभिगमन तथा मघ्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) एकीकृत भार पारेषण केन्द्र तथा संप्रेषण योजना सहित आर.एल.डी.सी. को देय प्रभारों की बिलिंग, वसूली तथा संवितरण, केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(ii) एस.एल.डी.सी. को देय प्रभारों के बिल, उत्तरवर्ती कैलेन्डर माह के तीसरे कार्य दिवस से पूर्व, एस.टी.यू. जुड़े उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को सीधे तथा वित्तरण प्रणाली से जुड़े ग्राहकों के संबंध में वितरण अनुज्ञापी को एस.टी.यू./एस.एल.डी.सी. द्वारा जारी किये जायेंगे।

(iii) वितरण अनुज्ञापी, एस,एल,डी.सी. से बिल की प्राप्ति के 3 दिनों के भीतर इससे जुड़े उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को बिल जारी करेगा।

(iv) वितरण अनुज्ञापी से जुड़ा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, वितरण अनुज्ञापी से बिल की प्राप्ति की पांच दिनों के भीतर प्रभारों का भुगतान करेगा। वितरण अनुज्ञापी, मासिक आधार पर एस.टी.यू./एस.एल.डी.सी. को देय राशि का संवितरण करेगा।

(v) एस.टी.यू. से जुड़ा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, बिल की प्राप्ति से पांच कार्य दिवसों के भीतर बिलों का भुगतान करेगा।

(2) राज्यान्तर्गत संचालन

(ए) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, एस.एल.डी.सी. द्वारा लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के तीन कार्य दिवसों के भीतर पारेषण प्रभार तथा परिचालन प्रभार एस.एल.डी.सी. के पास जमा करायेगा।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त, वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से जुड़ा लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, नोडल एजेन्सी द्वारा लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने से 3 दिनों के भीतर वितरण अनुज्ञापी को देय व्हीलिंग प्रभारों का भी एस.एल.डी.सी को भुगतान रकेगा। ऐसे प्रभारों का साप्ताहिक आधार पर वितरण अनुज्ञापी को संवितरित किया जायेगा।

(बी) दीर्घावधि तथा मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन

(i) जहाँ लागू हो वहाँ एस.एल.डी.सी. पारेषण अनुज्ञापी तथा वितरण अनुज्ञापी, आगामी कैलेंडर माह के तीसरे दिन तक उनको देय बिलों का विवरण एस.टी.यू. को संप्रेषित करेंगे, एस.टी.यू. उपरोक्त प्रभारों को पृथक रूप से इंगित कर उपरोक्त माह के पांचवे दिन से पहले, इसके द्वारा प्राप्त प्रभारों, यदि कोई है, के साथ उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को बिल जारी करेगा। उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, बिल प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के भीतर प्रभारों का भुगतान करेगा। एस.टी.यू. मासिक आधार पर एस.एल.डी.सी. पारेषण अनुज्ञापी व वितरण अनुज्ञापी को देय प्रभारों का संवितरण करेगा।

33. विलंबित भुगतान अधिभार

यदि इन विनियमों के अधीन देय प्रभारों के लिये किसी बिल का भुगतान किसी उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा देय तिथि से आगे विलंबित किया जाता है तो अधिनियम या उसके अधीन किसी अन्य

विनियम के अधीन किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलंबित भुगतान अधिभार उद्ग्रहीत किया जायेगा।

34. भुगतान में व्यतिक्रम

इन विनियमों के अधीन उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा देय कोई धनराशि या प्रभार का भुगतान न करना इन विनियमों का उल्लघंन माना जायेगा। एस.टी.यू. कोई अन्य पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी, वाद के द्वारा ऐसे प्रभारों की वसूली के अपने अधिकार पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले ग्राहक को पन्द्रह दिनों का अग्रिम नोटिस दे कर उन्मुक्त अभिगमन को बंद कर सकेगा। यदि प्रभारों के भुगतान में व्यतिक्रम भार प्रेषण केन्द्र के कारण है तो संबंधित भार प्रेषण केन्द्र व्यतिक्रम उन्मुक्त अभिगमन को ऊर्जा अनुसूचित करने से मना कर सकता है तथा संबंधित अनुज्ञापी को ग्रिड से ऐसे ग्राहक को विच्छेदित करने का निर्देश दे सकता है।

35. भुगतान सुरक्षा प्रणाली

दीर्घावधि अभिगमन तथा मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन के मामले में उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदक, दो माह की अवधि के लिये विभिन्न प्रभारों की अनुमानित धनराशि के संग्रहण के लिये उत्तरदायी ऐजेन्सी के पक्ष में एक अप्रतिसंहरणीय प्रत्यय पत्र खोलेगा।

अध्याय — 9

सीमित लघु—अवधि उन्मुक्त अभिगमन

36. सीमित लघु—अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के लिये योग्यता तथा पूर्ण की जाने वाली शर्तें

(1) इन विनियमों के उपबंधो के अधीन 100 के.वी.ए. या ऊपर के संविदाकृत भार वाले वितरण अनुज्ञापी के कोई उपभोक्ता जो 11 के.वी. या उससे ऊपर पर अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से जुड़े हों, उन्मुक्त अभिगमन चाहते हों तथा अनुज्ञापी या औद्योगिक पोषक के ग्रिड उप—स्टेशन से निकलना वाले स्वतंत्र पोषक के द्वारा संयोजित हों, ऐसे औद्योगिक पोषक पर सभी उपभोक्ता, सीमित लघु—अवधि उन्मुक्त अभिगमन के लिये आवेदन कर सकते हैं जिनके पास ऐसे उन्मुक्त अभिगमन के अधीन निकासी की युगपत अनुसूची है।

(2) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन, किसी सीमित लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के मामले में, दिन के दौरान प्रत्येक समय खांचे में उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से ऊर्जा की निकासी हेतु न्यूनतम अनुसूची, पिछले माह की अवधि में रिकार्ड की गयी अधिकतम मांग या इसके संविदाकृत भार के 80 प्रतिशत, दोनों में जो उच्चतर हो से कम नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: इस खण्ड के उद्देश्य से, "समय खांचे" से प्रत्येक 30 मिनट का वह समय खण्ड अभिप्रेत है जो ऐसी न्यूनतम अवधि है जिसके लिये, अधिकतम मांग को समेकित करने के लिये टाईम ऑफ डे मीटर सक्षम है।

37. सीमित लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के संबंध में निकासी बिंदु पर ऊर्जा का व्यवस्थापन।

(1) ऐसे उपभोक्ता द्वारा उन्मुक्त अभिगमन अवधि के दौरान मासिक ऊर्जा निकासी (के.वी.ए.एच. में) का परिकलन, उसकी अनुसूचित निकासी से तथा उपभोक्ता की उन्मुक्त अभिगमन अनुसूची में दिये गये अनुसार, माह के दौरान उपयोग में लाये गये उन्मुक्त अभिगमन के घंटों की संख्या से इसे गुणा कर किया जायेगा। परन्तु ऐसी ऊर्जा निकासी यूनिटी पावर फैक्टर पर होगी।

(2) उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से ऐसी ऊर्जा निकासी, बिलिंग के उद्देश्य से वितरण अनुज्ञापी द्वारा संस्थापित उसके वर्तमान मीटर में रिकार्ड की गयी ऊर्जा के मासिक उपभोग मे से घटाई जायेगी।

उदाहरण:

(ए) ऐसे उपभोक्ता का संविदाकृत भार = 10,000 के.वी.ए.

(बी) अनुसूचित निकासी = 8000 के.डब्ल्यू.

(सी) "सामान्य घंटे अर्थात् C 1 अवधि" के दौरान घंटों की संख्या, जिस अवधि में माह के दौरान उपभोक्ता द्वारा उन्मुक्त अभिगमन का उपयोग किया गया = 120 घंटे

(डी) "पीक आवर्स अर्थात् C 2 अवधि" के दौरान घंटों की संख्या जिस अवधि में माह के दौरान उपभोक्ता द्वारा उन्मुक्त अभिगमन का उपयोग किया गया = 180 घंटे

(ई) "ऑफ पीक आवर्स अर्थात C 3 अवधि" में घंटों की संख्या जिस अवधि में माह के दौरान उपभोक्ता द्वारा उन्मुक्त अभिगमन का उपयोग किया गया = 60 घंटे

(एफ) उन्मुक्त अभिगमन अवधि के दौरान, माह हेतु " C 1 अवधि" में निर्धारित उपभोग = 8000X120 = 960000 के.वी.ए.एच. = 960000 के.डब्ल्यू.एच (यूनिटी पी.एफ. पर)

(जी) उन्मुक्त अवधि के दौरान, माह हेतु " C 2 अवधि" में निर्धारित उपभोग = 8000X180 = 1440000 के.वी.ए.एच. = 1440000 के.डब्ल्यू.एच. (यूनिटी पी.एफ. पर)

(एच) उन्मुक्त अवधि के दौरान, माह हेतु " C 3 अवधि" में निर्धारित उपभोग = 8000x60 = 480000 के.वी.ए.एच. = 480000 के.डब्ल्यू.एच. (यूनिटी पी.एफ. पर)

(आई) माह के लिये "सी 1 अवधि" में उपभोक्ता के मीटर में रिकार्ड किया गया उपभोग, उदाहरण के लिये 1200000 के.वी.ए.एच

(जे) माह के लिये "सी 2 अवधि" में उपभोक्ता के मीटर में रिकार्ड किया गया उपभोग, उदाहरण के लिये 2000000 के.वी.ए.एच

(के) माह के लिये "सी 3 अवधि" में उपभोक्ता के मीटर में रिकार्ड किया गया उपभोग, उदाहरण के लिये 800000 के.वी.ए.एच

(एल) बिलिंग के उद्देश्य से वितरण अनुज्ञापी द्वारा लेखाकृत किये जाने वाला, माह हेतु "सी 1 अवधि" में शुद्ध उपभोग = 1200000 – 960000 = 240000 के.वी.ए.एच.

(एम) बिलिंग के उद्देश्य से वितरण अनुज्ञापी द्वारा लेखाकृत किया जाने वाला, माह हेतु "सी 2 अवधि" में शुद्ध उपभोग = 2000000 – 1440000 = 560000 के.वी.ए.एच.

(एन) बिलिंग के उद्देश्य से वितरण अनुज्ञापी द्वारा लेखाकृत किया जाने वाला, माह हेतु "सी 3 अवधि" में शुद्ध उपभोग = 800000 – 480000 = 320000 के.वी.एच..

(3) अनुसूचीकरण, अन्तर्राज्यीय संचालनों के लिये आईईजीसी के सुसंगत उपबंधों के अनुसार तथा राज्यान्तर्गत संचालनों के लिये राज्य ग्रिड संहिता के सुसंगत उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

38. सीमित लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के संबंध में निकासी के बिंदु पर अति निकासी/अल्प निकासी

इन विनियमों के अध्याय–7 के अनुसार असंतुलन प्रभार तथा केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में अनानुसूचित विनियम (यू.आई.) प्रभार, सीमित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के लिये लागू

नहीं होंगे। तथापि, सीमित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, नीचे दिये गये तरीके से अतिशय मांग आहरित करने हेतु जुर्माने का भुगतान करने के लिये जिम्मेदार होगा।

(1) अति–निकासी

यदि ऐसा उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, एक दिन में उन्मुक्त अभिगमन अवधि में किसी समय खांचे में लिये अपने संविदा कृत भार या अनुसूचित ऊर्जा, दोनों में जो अधिक हो, का 100 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा की निकासी करता है तो वह जुर्माने के भुगतान का जिम्मेदार होगा। प्रत्येक समय खांचे के लिये जुर्माने की दर (रू0/संविदाकृत भार का के.वी.ए.) उपरोक्तानुसार अतिनिकासी के प्रतिशत की समानुपाती होगी तथा प्रत्येक प्रतिशत के लिये रू0 0.10 के बराबर होगी।

उदाहरण:

एक दिन के लिये जुर्माने का परिकलन

संविदाकृत भार (के.वी.ए. में सी.डी.)	अति निकासी (%)	जुर्माने की दर (रू0/के.वी.ए./समय खांचा) (0.10X% अति निकासी)	समय खांचों की संख्या जहां निकासित ऊर्जा सी.डी. (टी.एस.) में 100% से अधिक है	प्रत्येक समय खांचे के लिये जुर्माना (रू0) (टी.एस X दर X सी.डी)	उपभोक्ता द्वारा देय कुल जुर्माना (रू0)
10000	11	1.1	1	11000	156000
	15	1.5	3	45000	
	20	2.0	5	100000	

(2) अल्प निकासी

जहां ग्रिड से सीमित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता अल्प निकासी करता है वहां उसे नीचे वर्णित अनुसार तथा सुसंगत वर्ष हेतु लागू शुल्क आदेश के अनुसार वितरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा क्रय लागत के लिये औसत दर से प्रतिपूर्ति की जायेगी।

ऊर्जा क्रय लागत की औसत दर = [कुल ऊर्जा क्रय लागत/कुल ऊर्जा क्रय की गयी यूनिटें]

39. सीमित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं पर लागू प्रभार

(1) सीमित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को पारेषण प्रभारों, व्हीलिंग प्रभारों, प्रतिसहायिकी अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार के भुगतान की छूट होगी। तथापि, वे शुल्क आदेश में दर अनुसूची के अनुसार उन पर लागू ऊर्जा प्रभार, मांग/स्थिर प्रभार, न्यूनतम उपभोग गारंटी इत्यादि जैसे अन्य प्रभारों का भुगतान करना जारी रखेंगे।

परन्तु ऊर्जा प्रभार, उन पर विनियम 37 एवं 38 में उपबंधित ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली के अनुसार परिकलित शेष ऊर्जा/उपभोग पर देय होंगे।

(2) सीमित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, एस.एल.डी.सी. को प्रत्येक संचालन हेतु प्रतिदिन के भाग हेतु रू0 2000/– की दर से या समय–समय पर आयोग द्वारा अवधारित किये गये अनुसार सम्मिश्र परिचालन प्रभारों के भुगतान का भी जिम्मेदार होगा।

(3) यदि राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के अतिरिक्त, अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा किया जाता है तो केन्द्रीय आयोग द्वारा किये गये तथा अनुमोदित किये गये पारेषण प्रभार, आर.एल.डी.सी. प्रभार इत्यादि उपरोक्त उप–विनियम (1) व (12) के अनुसार प्रभारों के भुगतान के अतिरिक्त अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु देय होंगे।

40. वितरण अनुज्ञापी से सीमित लघु–अवधि अभिगमन उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा की निकासी

यदि किसी कारणवश सीमित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता को किसी समय खांचे में ऊर्जा आपूर्तिकर्ता विफल रहता है तो उक्त आपूर्तिकर्ता राज्य ग्रिड संहिता के उपबंधों के अनुसार अपनी अनुसूची का पुनरीक्षण करेगा तथा इसे एस.एल.डी.सी. व संबंधित उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को संप्रेषित करेगा। एस.एल.डी.सी., अनुसूची का पुनरीक्षण करेगा जो कि दूसरे समय खांचे से प्रभावी होगी (जिसमें यह संभावना हुई है उसे पहले स्थान पर रखकर गणना करते हुए) तथा पुनरीक्षित अनुसूची वितरण अनुज्ञापी को उपलब्ध कराई जायेगी। ऐसे उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं का यह कर्तव्य होगा कि वे पुनरीक्षित अनुसूची के अनुसार ऊर्जा की निकासी करें। सीमित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता द्वारा पुनरीक्षित अनुसूची से अधिक ऊर्जा की निकासी करना, ऐसे उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा की अधिनिकासी माना जायेगा तथा इन विनियमों के विनियम 38 के उप–विनियम (1) के अनुसार वह दंड के भुगतान का जिम्मेदार होगा।

41. सीमित लघु–अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक हेतु नोडल एजेन्सी

सीमित लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता हेतु नोडल एजेन्सी राज्य भार प्रेषण केन्द्र होगा तथा ऐसे मामले में राज्य पारेषण यूटिलिटी और/या पारेषण अनुज्ञापी और/या संबंधित वितरण अनुज्ञापी, यथास्थिति, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ समन्वय हेतु उत्तरदायी होंगे तथा उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिये निर्णय लेने हेतु अपेक्षित सुसंगत सूचना उपलब्ध करायेंगे।

42. सीमित लघु अवधि ग्राहक की उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने की प्रक्रिया

अध्याय–4 में समाविष्ट विनियम 16 में विनिर्दिष्ट लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए प्रक्रिया सीमित लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए भी लागू होगी।

43. सीमित लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक के लिए मीटरिंग

सीमित लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के मामले में, उनके परिक्षेत्र में संस्थापित वर्तमान टी.ओ.डी. मीटर ऊर्जा लेखाकरण तथा बिलिंग का उद्देश्य पूरा करेंगे।

44. सीमित लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग एवं भुगतान

(1) वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता होने के नाते सीमित लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, उपरोक्त विनियम 39 में उपबंधित उन्मुक्त अभिगमन की अवधि में ऊर्जा की निकासी हेतु ऊर्जा की मात्रा तथा अन्य प्रभारों के समायोजन के अधीन वितरण अनुज्ञापी द्वारा मासिक आधार पर उसको बिल किये गये विद्युत प्रभारों का भुगतान करना जारी रखेगा।

(2) वितरण अनुज्ञापी, अपने विद्युत बिल में ऐसे उपभोक्ता पर लागू ऊर्जा की मात्रा तथा अन्य प्रभारों के इन समायोजनों को पृथक रूप से दर्शाएगा।

अध्याय–10

अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता

45. अन्तःस्थापित उपभोक्ताओं को उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त करने के लिए योग्यता तथा पूर्ण की जाने वाली शर्तें

इन विनियमों के उपबंधों के अधीन, वितरण अनुज्ञापी के कोई उपभोक्ता जिनके पास 100 के.वी.ए. या इससे ऊपर का संविदाकृत भार हो तथा 11 के0वी0 या इससे ऊपर पर अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली से जुडे हों, उन्मुक्त अभिगमन चाहते हों तथा औद्योगिक पोषक या अनुज्ञापी के ग्रिड उपस्टेशन से निकलने वाले स्वतन्त्र फीडर के माध्यम से जुड़े हों, बशर्ते कि ऐसे औद्योगिक पोषक सभी उपभोक्ता, उन्मुक्त अभिगमन हेतु आवेदन कर सकेंगे तथा ऐसे उन्मुक्त अभिगमन के अधीन निकासी की युगपत अनुसूची प्राप्त हों।

परन्तु वे उपभोक्ता जो स्वतन्त्र पोषक पर नहीं हैं, उन्हें इस शर्त के अधीन उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति होगी कि उनको सेवारत पोषकों पर यूटिलिटी द्वारा लगाये गये रोस्टरिंग प्रतिबंधों के लिए वे सहमत हों।

आगे यह कि ऐसे उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के संबंध में वितरण अनुज्ञापी के कर्तव्य, अधिनियम की धारा 42 (3) के अनुसार भेदभाव रहित उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने वाले सामान्य वाहक के होंगे।

46. अन्तःस्थापित उपभोक्ताओं के संबंध में निकासी बिन्दु पर ऊर्जा का व्यवस्थापन

अन्तःस्थापित ग्राहकों के संबंध में निकासी बिन्दु पर ऊर्जा के व्यवस्थापन हेतु प्रणाली वही होगी जो इन विनियमों के अध्याय–9 में समाविष्ट विनियम 37 में सीमित लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों के लिए उपबंधित है।

47. अन्तःस्थापित उपभोक्ताओं पर लागू प्रभार

(1) अन्तः स्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, इन विनियमों के अध्याय–5 में समाविष्ट विनियम 21 के उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित पारेषण प्रभारों का भुगतान करेगा।

(2) अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, आयोग द्वारा अवधारित व्हीलिंग प्रभारों का भुगतान निम्नलिखित तरीके से करेंगे:

WC अन्तःस्थापित उपभोक्ता = WC-[FC*12*1000/365] (रू0 में/MW–दिन)

जहाँ,

WC अन्तःस्थापित उपभोक्ता = अन्तःस्थापित उपभोक्ताओं के लिये व्हीलिंग प्रभार

WC = इन विनियमों के अध्याय–5 में समाविष्ट विनियम 21(2) में विनिर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित व्हीलिंग प्रभार

FC= प्रचलित शुल्क आदेश की लागू दर अनुसूची के अनुसार रू0/के0वी0ए0/माह या रू0/के0डब्ल्यू/माह में स्थिर/मांग प्रभार

नोटः यदि अन्तःस्थापित उपभोक्ताओं हेतु उपरोक्त तरीके से निकाले गये व्हीलिंग प्रभार नकारात्मक हो जाते हैं तो ऐसे प्रभार शून्य होंगे।

(3) अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, अध्याय 5 में समाविष्ट क्रमशः विनियम 23 एवं 24 में विनिर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित प्रति सहायिकी अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करेंगे।

(4) अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, एस.एल.डी.सी. को प्रत्येक संचालन हेतु प्रतिदिन या दिन के एक भाग के लिए रू0 2000/– की दर से या समय–समय पर आयोग द्वारा अवधारित रूप में समिश्र परिचालन प्रभारों का भुगतान करने का भी जिम्मेदार होगा।

(5) उन्मुक्त अभिगमन के संबंध में उपरोक्त प्रभारों के अतिरिक्त, अन्तःस्थापित उपभोक्ता, शुल्क आदेश में दर अनुसूची के अनुसार उन पर लागू अन्य प्रभारों, यथा ऊर्जा प्रभार, मांग/स्थिर प्रभार, न्यूनतम उपभोग गारंटी इत्यादि, का भुगतान करना जारी रखेंगे।:

परन्तु ऊर्जा प्रभार, उपरोक्त विनियम 46 में उपबंधित ऊर्जा व्यवस्थापन प्रणाली के अनुसार परिकलित शेष ऊर्जा/उपभोग पर देय होंगे।

(6) यदि राज्यांतर्गत पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसे ग्राहक द्वारा अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली का उपयोग किया जाता है तो केन्द्रीय आयोग द्वारा नियत तथा अनुमोदित रूप में, पारेषण प्रभार, आर.एल.डी.सी. प्रभार इत्यादि उपरोक्त खण्ड (1) से (5) के अनुसार प्रभारों के भुगतान के अतिरिक्त, अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु देय होंगे।

48. अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के लिए अनुसूचीकरण

(1) अन्तर्राज्यीय संचालनों के लिए अनुसूचीकरण, आई.ई.जी.सी. के सुसंगत उपबंधों के अनुसार तथा राज्यान्तर्गत संचालनों के लिए राज्य ग्रिड संहिता के सुसंगत उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(2) प्रत्येक दिन सुबह 10:00 बजे तक ये अन्तः स्थापित उपभोक्ता, वितरण अनुज्ञापी/ यू0पी0सी0एल0 को एक प्रति के साथ एस0एल0डी0सी0 को अगले दिन के लिए, अर्थात् 00:00 बजे से अगले दिन के 24:00 बजे तक के लिए उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से अनुज्ञापी से तथा अन्य आपूर्तिकर्ता से ऊर्जा का अनुसूचीकरण पृथक रूप से दर्शाते हुए, एम.डब्ल्यू. में ऊर्जा की दैनिक अनुसूची तैयार कर जमा करेंगे।

(3) इन विनियमों के अध्याय–7 के अनुसार असंतुलन ऊर्जा तथा प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा प्रभार, अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं होंगे, तथापि अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, शुल्क आदेश में दर अनुसूची के अनुसार उन पर लागू अधिक मांग प्रभारों के भुगतान के जिम्मेदार होंगे।

उदाहरण:

यदि किसी माह में रिकॉर्ड की गयी अधिकतम मांग, संविदाकृत भार/मांग से अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता की श्रेणी पर लागू होने वाले, अनुप्रयोज्य अधिक मांग प्रभार देय होंगे। संविदाकृत भार/मांग से अधिक ऐसा अधिक भार/मांग, अधिक भार/मांग जुर्माने हेतु उद्ग्रहित किया जाएगा।

ए)	अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन प्रणाली के अधीन उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले उपभोक्ता का संविदाकृत भार/मांग = 10 एम.डब्ल्यू.
बी)	वितरण अनुज्ञापी/यू0पी0सी0एल0 से अनुसूचित निकासी = 7 एम.डब्ल्यू.
सी)	उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से अनुसूचित निकासी = 3 एम.डब्ल्यू.
डी)	किसी माह में रिकॉर्ड की गयी अधिकतम मांग = 12 एम.डब्ल्यू.
ई)	माह के लिए अधिक भार/मांग जुर्माने हेतु जिम्मेदार अधिक भार/मांग = 2 एम.डब्ल्यू.

49. अन्तःस्थापित उपभोक्ताओं की लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए प्रक्रिया

अन्तःस्थापित उपभोक्ताओं को उन्मुक्त अभिगमन प्रदान करने के लिए आवेदन तथा प्रक्रिया वही होगी जो इन विनियमों के अध्याय 4 में समाविष्ट विनियम 16 में विनिर्दिष्ट लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों के लिए लागू है। इन उपभोक्ताओं के लिए नोडल एजेन्सी, एस.एल.डी.सी. होगी।

50. अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के लिए मीटरिंग

अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं के मामले में उनके परिक्षेत्र में संस्थापित वर्तमान टी.ओ.डी. मीटर, ऊर्जा लेखाकरण तथा बिलिंग का उद्देश्य पूरा करेंगे।

51. अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता के लिए बिलिंग तथा भुगतान

(1) बिलिंग, संग्रहण, संवितरण तथा अन्य वाणिज्यिक मामले उसी प्रकार होंगे जैसे कि इन विनियमों के अध्याय– 8 में विनिर्दिष्ट लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों पर लागू हैं।

(2) वितरण अनुज्ञापी का एक उपभोक्ता होते हुए, अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता, उपरोक्त विनियम–46 में उपबंधित उन्मुक्त अभिगमन की अवधि में ऊर्जा की निकासी हेतु ऊर्जा की मात्रा तथा अन्य प्रभारों के समायोजन के अधीन वितरण अनुज्ञापी द्वारा मासिक आधार पर उसको बिल किये गये विद्युत प्रभारों का भुगतान करना जारी रखेगा।

(3) वितरण अनुज्ञापी, अपने विद्युत बिल में, ऐसे उपभोक्ता पर लागू ऊर्जा की मात्रा तथा अन्य प्रभारों के समायोजन को पृथक रूप से दर्शाएगा।

अध्याय–11

वितरण प्रणाली से संयोजित उत्पादक स्टेशन में उन्मुक्त अभिगमन

52. उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाली वितरण प्रणाली से संयोजित उत्पादक स्टेशनों के लिए आवेदन प्रकिया

उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले, वितरण प्रणाली से जुड़े एक उत्पादक स्टेशन को, इसमें नीचे विनियम–53 के अधीन आये मामलों से संबंधित को छोड़कर, वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो कि दीर्घावधि अभिगमन, मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन तथा लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन के अधीन उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले उपभोक्ता के लिए लागू होती है। ऐसा उत्पादक स्टेशन, प्रतिसहायिकी अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार को छोड़कर, उसी आवेदन शुल्क तथा अन्य उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों के भुगतान का भी दायी होगा जो कि उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले उपभोक्ता पर लागू है।

53. एक ही वितरण अनुज्ञापी के क्षेत्र के भीतर उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले उत्पादक स्टेशन के लिए आवेदन प्रकिया

(1) एक ही वितरण अनुज्ञापी के क्षेत्र के भीतर ही उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाला उत्पादक स्टेशन, निर्धारित आरूप में वितरण अनुज्ञापी को आवेदन करेगा।

(2) ऐसे उत्पादक स्टेशन के आवेदन का प्रक्रमण करते समय, वितरण अनुज्ञापी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा:

(ए) एक ही वितरण अनुज्ञापी के क्षेत्र के भीतर उन्मुक्त अभिगमन चाहने वाले उत्पादक स्टेशन के आवेदन का प्रक्रमण करते समय, वितरण अनुज्ञापी निम्नलिखित का सत्यापन करेगा:

(i) प्रवृत्त राज्य ग्रिड संहिता के उपबंधों के अनुसार समय खण्डवार ऊर्जा मीटरिंग तथा लेखाकरण हेतु आवश्यक संरचना का अस्तित्व, तथा

(ii) वितरण नेटवर्क में अधिशेष क्षमता की उपलब्धता

(बी) जहां वितरण नेटवर्क में अधिशेष क्षमता की उपलब्धता तथा आवश्यक संरचना अस्तित्व स्थापित कर लिया गया है, वहां वितरण अनुज्ञापी, उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता पर लागू इन विनियमों में विनियम–13 के उप–विनियम(2) में इंगित समय सीमा के भीतर अपना अनुमोदन सूचित करेगा।

(सी) यदि वितरण अनुज्ञापी यह पाता है कि आवेदन किसी रूप में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण है तो वह आवेदन प्राप्ति के दो (2) कार्य दिवसों के भीतर ई–मेल या फैक्स या संप्रेषण के सामान्यतः मान्य किसी माध्यम द्वारा आवेदक को इस अपूर्णता या त्रटि की सूचना देगा।

(डी) यदि आवेदन व्यवस्थित रूप में पाया जाता है किन्तु वितरण अनुज्ञापी आवश्यक संरचना के अस्तित्व में न होने या वितरण नेटवर्क में अधिशेष क्षमता की अनुपलब्धता के आधार पर उन्मुक्त अभिगमन हेतु अनुमोदन देने से इन्कार करता है तो इस प्रकार की सूचना, इसके कारणों के साथ आवेदन प्राप्ति की तिथि से तीन (3) कार्यदिवसों के भीतर ई–मेल या फैक्स या संप्रेषण के सामान्यतः मान्य किसी अन्य माध्यम द्वारा आवेदक को दी जाएगी।

(ई) उत्पादक स्टेशन, इन विनियमों के अध्याय–5 में समाविष्ट विनियम–21 के उपविनियम (2) के अनुसार वितरण अनुज्ञापी को व्हीलिंग प्रभार का भुगतान करेगा। वितरण प्रणाली की अनुपलब्धता के मामले में माने गये उत्पादक का मसला उत्पादन स्टेशन तथा वितरण अनुज्ञापी के मध्य आपस में निपटाया जाएगा।

अध्याय–12

सूचना प्रणाली

54. सूचना प्रणाली

राज्य भार प्रेषण केन्द्र "उन्मुक्त अभिगमन जानकारी" शीर्षक के पृथक वेब पेज में अपनी साईट पर निम्नलिखित सूचना प्रदान करेगा तथा ऐसी सूचना के समावेश के साथ एक मासिक व वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करेगा:

(1) सीमित लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन तथा अन्तः स्थापित उपभोक्ताओं द्वारा उन्मुक्त अभिगमन सहित उत्पादक स्टेशनों तथा उपभोक्ताओं द्वारा दीर्घावधि/मध्यम अवधि/लघु अवधि पर निम्नलिखित इंगित करते हुए स्थिति रिपोर्ट:

(ए) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता/उत्पादक स्टेशन का नाम,

(बी) प्रदान किये गये उन्मुक्त अभिगमन की अवधि (प्रारंभ होने की तिथि तथा समाप्ति की तिथि),

(सी) प्रत्येक दिवस हेतु वितरण अनुज्ञापी/यू0पी0सी0एल0 से ऊर्जा की अनुसूची (अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं पर लागू),

(डी) प्रत्येक दिवस हेतु उन्मुक्त अभिगमन के माध्यम से ऊर्जा की अनुसूची (अन्तःस्थापित उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं पर लागू),

(ई) प्रत्येक दिवस हेतु उन्मुक्त अभिगमन अवधि की अनुसूची,

(एफ) अन्तःक्षेपण का बिन्दु,

(जी) निकासी का बिन्दु,

(एच) उपयोग की गयी पारेषण प्रणाली/वितरण प्रणाली, तथा

(आई) उपयोग की गयी उन्मुक्त अभिगमन क्षमता।

(2) ई.एच.वी. उपस्टेशनों से निकलने वाली सभी ई.एच.वी. लाईनों तथा एच.वी. लाईनों पर आरक्षित क्षमता सहित चरम भार प्रवाह तथा उपलब्ध क्षमता।

(3) संबंधित अनुज्ञापियों द्वारा अवधारित रूप में पारेषण तथा वितरण प्रणाली में औसत हानि से संबंधित जानकारी।

अध्याय–13

प्रकीर्ण

55. राज्यान्तर्गत पारेषण तथा वितरण प्रणाली में उन्मुक्त अभिगमन क्षमता का अल्प उपयोजन या अनुपयोजन

(1) दीर्घावधि अभिगमनः एक दीर्घावधि उपभोक्ता, असहाय क्षमता हेतु प्रतिपूर्ति का भुगतान कर दीर्घावधि अभिगमन की पूर्ण अवधि के समाप्त होने से पहले पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से दीर्घावधि अभिगमन को निम्नलिखित रूप से छोड़ सकता हैः

(ए) दीर्घावधि उपभोक्ता जिसने न्यूनतम 12 वर्षों के लिए अभिगमन अधिकार का उपयोग किया है

(i) एक (1) वर्ष का नोटिस– यदि उपभोक्ता, उस तिथि से कम से कम एक (1) वर्ष पूर्व नोडल एजेन्सी को आवेदन करता है जिस तिथि से वह अभिगमन अधिकार त्यागना चाहता है, कोई प्रभार नहीं होंगे।

(ii) एक (1) वर्ष से कम का नोटिस– यदि ऐसा उपभोक्ता, उस तिथि से एक (1) वर्ष से कम अवधि से पूर्व किसी समय नोडल एजेन्सी को आवेदन करता है जिस तिथि से वह अभिगमन का अधिकार त्यागना चाहता हैं तो ऐसा उपभोक्ता, एक (1) वर्ष की नोटिस अवधि में कम पड़ने वाली अवधि के लिए असहाय पारेषण तथा/या वितरण क्षमता हेतु अनुमानित उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

(बी) दीर्घावधि ग्राहक जिसने कम से कम बारह (12) वर्षों के लिए अभिगमन अधिकार का उपयोग नहीं किया हैः

ऐसा उपभोक्ता, अभिगमन अधिकारों के बारह (12) वर्षों में कम पड़ने वाली अवधि के लिए असहाय पारेषण तथा/या वितरण क्षमता हेतु अनुमानित उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगाः

परन्तु ऐसा उपभोक्ता, उस तिथि से कम से कम एक (1) वर्ष पहले नोडल एजेन्सी को आवेदन करेगा जिस तिथि से वह अभिगमन अधिकारों का त्याग करना चाहता हैः

आगे यह कि यदि एक ग्राहक, एक वर्ष से कम की नोटिस अवधि में किसी समय दीर्घावधि अभिगमन अधिकारों का त्याग करने के लिए आवेदन करता है तो ऐसा उपभोक्ता, अभिगमन

अधिकारों की बारह (12) वर्षों में कम पड़ने वाली अवधि के लिए असहाय पारेषण तथा/या वितरण क्षमता हेतु अनुमानित उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66 प्रतिशत के अतिरिक्त एक (1) वर्ष नोटिस अवधि में कम पड़ने वाली अवधि के लिए अनुमानित उन्मुक्त अभिगमन प्रभार (शुद्ध वर्तमान मूल्य) के 66 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

(सी) उपरोक्त उपविनियम (1) के खण्ड (ए) एवं (बी) में संदर्भित शुद्ध वर्तमान मूल्य की संगणना हेतु लागू होने वाली छूट की दर, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी वितरण अनुज्ञापियों द्वारा ऊर्जा के प्रापण हेतु बोली प्रकिया द्वारा शुल्क के अवधारण हेतु दिशा—निर्देशों के अनुसार समय—समय पर जारी केन्द्रीय आयोग की अधिसूचना में बोली मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली छूट की दर होगी।

(डी) असहाय पारेषण तथा/या वितरण क्षमता के लिए दीर्घावधि ग्राहक द्वारा भुगतान की गयी प्रतिपूर्ति, ऐसे दीर्घावधि ग्राहकों तथा मध्यम अवधि ग्राहकों द्वारा उस वर्ष हेतु देय उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों के अनुपात में उस वर्ष में जिस में ऐसा प्रतिपूर्ति भुगतान देय है, अन्य दीर्घावधि ग्राहकों तथा मध्यम अवधि ग्राहकों द्वारा पारेषण तथा/या व्हीलिंग प्रभारों को कम करने के लिए उपयोग में लाई जायेगी।

(2) मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक

एक मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, नोडल एजेंन्सी को कम से कम 30 दिन पहले नोटिस दे कर पूर्ण समय से या आंशिक रूप से अधिकारों का त्याग कर सकता है:

परन्तु अपने अधिकार त्यागने वाला मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक, त्याग करने की अवधि या 30 दिन, दोनों में से जो कम हो, के लिए लागू उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों का भुगतान करेगा।

(3) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक

(ए) अग्रिम या आगामी दिन के आधार पर नोडल एजेन्सी द्वारा स्वीकार की गई लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन अनुसूचियां, लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक द्वारा नोडल एजेन्सी को इस संबंध में किये गये आवेदन पर नीचे की ओर पुनरीक्षित या रद्द की जा सकती है।

परन्तु लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन अनुसूचियों का ऐसा रद्दकरण या नीचे की ओर पुनरीक्षण, (2) दिनों की न्यूनतम अवधि की समाप्ति से पूर्व प्रभावी नहीं होगा।

आगे यह भी कि वह दिन जिस दिन नोडल ऐजेन्सी को रद्द करण का नीचे की ओर पुनरीक्षण का नोटिस दिया गया है तथा वह दिन जिस दिन से ऐसा रद्दकरण या नीचे की

ओर पुनरीक्षण लागू होता है, दो (2) दिन की अवधि की संगणना करते समय सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

(बी) लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन अुनसूची का रद्दकरण या नीचे की ओर पुनरीक्षण चाहने वाला व्यक्ति, उस अवधि के लिए पहले दो (2) दिनों के लिए उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों का भुगतान करेगा जिस जिस अवधि के लिए नोडल ऐजेन्सी द्वारा मूल रूप से अनुमोदित अनुसूची के अनुसार तथा तत्पश्चात ऐसे रद्दकरण या नीचे की ओर पुनरीक्षण की अवधि में नोडल एजेन्सी द्वारा तैयार की गई पुनरीक्षित अनुसूची के अनुसार रद्दकरण या नीचे की ओर पुनरीक्षण, यथा स्थिति, मांगा गया है।

(सी) अध्याय 5 में समाविष्ट विनियम 22 में विनिर्दिष्ट रद्दकरण, अनुसूचीकरण तथा प्रणाली परिचालन प्रभार, दो (2) दिनों या रद्करण की अवधि, दोनो में जो कम हो, के लिए देय होंगे।

56. उन्मुक्त अभिगमन हेतु क्षमता उपलब्धता की संगणना

(1) उन्मुक्त अभिगमन हेतु उपलब्धता की क्षमता, एस.टी.यू. द्वारा प्रत्येक उपकेन्द्र के लए तथा प्रत्येक पारेषण भाग के लिए, नीचे दी गई कार्य प्रणाली अपनाते हुए संगठित की जायेगी:

(ए) एक पारेषण प्रणाली भाग की उपलब्ध उन्मुक्त अभिगमन क्षमता (DC-SD-AC)+NC जहॉ DC= एम डब्लू में पारेषण भाग की अभिकल्पित क्षमता, SD= भाग में रिकार्ड की गई एमडब्लू में लगातार मांग, AC= पहले से आबंटित क्षमता किन्तु जो उपयोग न की गई हो, एमडब्लू में, NC= नवीन क्षमता, एमडब्लू में, जोड़े जाने के लिए अपेक्षित

(बी) उपकेन्द्र को उन्मुक्त अभिगमन क्षमता उपलब्धता =(TC-SP-AC)+NC जहॉ, TC उपकेन्द्र की परिवर्तक क्षमता, एमवीए, SP= उपकेन्द्र पीक, एमवीए में, AC= पहले से आबंटित क्षमता, जो उपयोग में नहीं लाई गई, एमवीए में, NC=नवीन परिवर्तक क्षमता, एमवीए में, जोड़े जाने के लिए अपेक्षित।

(सी) एसटीयू, माह के पहले कैलेन्डर दिवस पर मासिक आधार पर इन मूल्यों को अद्यतन करेगा तथा अपनी बेबसाईट में प्रकाशित करेगा।

(2) उपयुक्त वितरण अनुज्ञापी, उस वितरण प्रणाली के भाग हेतु आबंटन के लिए उपलब्ध क्षमता अवधारित करेगा जिस पर उन्मुक्त अभिगमन का निवेदन किया गया है।

57. प्राथमिकता कम करना

जब बाध्यता के कारण या अन्यथा, उपभोक्ताओं को उपयुक्त अभिगमन सेवाओं में कमी करना आवश्यक हो जाये तो राज्य ग्रिड संहिता की अपेक्षाओं के अधीन, वितरण अनुज्ञापी का उन्मुक्त अभिगमन सबसे अंत में कम किया जायेगा। अन्य में से, लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों का सर्वप्रथम, इसके पश्चात मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन तथा उसके पश्चात दीर्घावधि उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों का अभिगमन कम लिया जायेगा।

58. कठिनाइयॉ दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा राज्य पारेषण युटिलिटी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्यान्तर्गत अनुज्ञापियों तथा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक को ऐसी कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है जो आयोग को कठिनाईयॉ दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

59. निरसन तथा व्याधियॉ

(1) इन विनियमों में जैसे उपबंधित है उसके सिवाय, उविनिआ(वितरण मं उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2004 इन विनियमों के प्रारंभ होने की तिथि से निरस्त रहेगा।

(2) इस निरसन के होते हुए भी, निरसित विनियमों के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात, इन विनियमों के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित समझी जायेगी।

(3) एक विद्यमान सहमति पत्र/संविदा के अधीन इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तिथि पर राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ता तथा राज्य में वितरण प्रणाली, उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर पारेषण तथा वितरण प्रणाली में ऐसे अभिगमन का उपयोग जारी रखने के हकदार होंगे जो ऐसे विद्यमान सहमतिपत्र/संविदा में अनुबंधित हैं। ऐसे व्यक्तियों को ऐसे विद्यमान सहमति पत्र/संविदा की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पहले दीर्घावधि अभिगमन या मध्यम अवधि उन्मुक्त अभिगमन श्रेणी के अधीन आने के लिए आवेदन करना होगा।

10	जमा किये गये अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का विवरण					
	बैंक का विवरण	लिखित विवरण				
		प्रकार (ड्राफ्ट/नकद)		लिखित सं0	दिनांक	
11	मैं एतद्द्वारा एसएलडीसी को उक्त आवेदन का प्रक्रमण करने का प्राधिकार देता हूँ, यदि राज्यान्तर्गत एबीटी के उपबंधों के अनुसार आगामी दिन अनुसूचीकरण के लिए उन्मुक्त अभिगमन क्षमता का आबंटन हो जाता है।					
12	**घोषणा–** संचालन की सभी एन्टिटीज युटिलिटीज विद्युत अधिनियम,2003 (अधिनियम), उविनिआ(राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम,2010, तथा समय–समय पर संशोधित रूप में किसी अन्य सुसंगत विनियम, आदेश, संहिता के उपबंधों द्वारा आबद्ध रहेंगे।					

स्थान *हस्ताक्षर (मुहर के साथ)*

दिनांक *नाम तथा पदनाम*

संलग्नक

(1) डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अप्रतिदेय आवेदन शुल्क या नकद की रसीद (यदि भुगतान नकद है)
(2) संविदाकृत ऊर्जा, संचालन की अवधि, निकासी का स्वरूप, अन्तःक्षेपण तथा इत्यादि का/के बिन्दु का विवरण देते हुए संचालन के पक्षों (क्रेता तथा विक्रेता) के मध्य हुए पीपीए/पीएसए/एमओयू के स्वतः प्रमाणित प्रतियां।
(3) एसटीयू तथा/या पारेषण अनुज्ञापी तथा/या वितरण अनुज्ञापी की सहमति की स्वतः प्रमाणित प्रतियॉं।
(4) कोई अन्य,यदि है।

अनुसंगत संलग्नक के साथ (ऊपर (1) व (2) को छोड कर) प्रति निम्नलिखित को :

(1) संचालन में सन्निहित पारेषण अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक
(2) संचालन में सन्निहित वितरण अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक
(3) संचालन में सन्निहित पारेषण उपकेन्द्र का प्रभारी अधिकारी
(4) संचालन में सन्निहित वितरण उपकेन्द्र का प्रभारी अधिकारी
(5) अन्य संबंधित

एसएलडीसी के उपयोग हेतु (आवेदन के नामांकन के सन्दर्भ में)	
एसएलडीसी आइडी सं0	
नोडल एसएलडीसी अनुमोदन सं0	< यदि अनुमोदित हो >
या इन्कार का कारण *	
<* एसएलडीसी प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर कर इन्कार के कारण हेतु समर्थक दस्तावेज भी संलग्न कर सकता है।	

10	जमा किये गये अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का विवरण					
	बैंक का विवरण	लिखित विवरण				
		प्रकार (ड्राफ्ट/नकद)	लिखित सं0	दिनांक		
11	मैं एतद्द्वारा एसएलडीसी को उक्त आवेदन का प्रक्रमण करने का प्राधिकार देता हूँ, यदि राज्यान्तर्गत एबीटी के उपबंधों के अनुसार आगामी दिन अनुसूचीकरण के लिए उन्मुक्त अभिगमन क्षमता का आबंटन हो जाता है।					
12	घोषणा– संचालन की सभी एन्टिटीज युटिलिटीज विद्युत अधिनियम,2003 (अधिनियम), उविनिआ(राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियम,2010, तथा समय–समय पर संशोधित रूप में किसी अन्य सुसंगत विनियम, आदेश, संहिता के उपबंधों द्वारा आबद्ध रहेंगे।					

स्थान *हस्ताक्षर (मुहर के साथ)*

दिनांक *नाम तथा पदनाम*

संलग्नक

(1) ड़िमांड ड्राफ्ट द्वारा अप्रतिदेय आवेदन शुल्क या नकद की रसीद (यदि भुगतान नकद है)

(2) संविदाकृत ऊर्जा, संचालन की अवधि, निकासी का स्वरूप, अन्तःक्षेपण तथा इत्यादि का/के बिन्दु का विवरण देते हुए संचालन के पक्षों (क्रेता तथा विक्रेता) के मध्य हुए पीपीए/पीएसए/एमओयू के स्वतः प्रमाणित प्रतियां।

(3) एसटीयू तथा/या पारेषण अनुज्ञापी तथा/या वितरण अनुज्ञापी की सहमति की स्वतः प्रमाणित प्रतियॉ।

(4) कोई अन्य,यदि है।

अनुसंगत संलग्नक के साथ (ऊपर (1) व (2) को छोड कर) प्रति निम्नलिखित को :

(1) संचालन में सन्निहित पारेषण अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक

(2) संचालन में सन्निहित वितरण अनुज्ञापी का प्रबंध निदेशक

(3) संचालन में सन्निहित पारेषण उपकेन्द्र का प्रभारी अधिकारी

(4) संचालन में सन्निहित वितरण उपकेन्द्र का प्रभारी अधिकारी

(5) अन्य संबंधित

एसएलडीसी के उपयोग हेतु (आवेदन के नामांकन के सन्दर्भ में)	
एसएलडीसी आइडी सं0	
नोडल एसएलडीसी अनुमोदन सं0	< यदि अनुमोदित हो >
या इन्कार का कारण *	
<* एसएलडीसी प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर कर इन्कार के कारण हेतु समर्थक दस्तावेज भी संलग्न कर सकता है।	

पावती

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिए आवेदन

ए— < ग्राहक द्वारा भरा जाये >			
1	ग्राहक आवेदन सं0		तिथि
2	संचालन की अवधि		
3	ग्राहक का प्रकार *	<विक्रेता / क्रेता / कैप्टिव उपयोगकर्ता / व्यापारी (विकता / केता / कैप्टिव उपयोगकर्ता की और से)>	
<* ऊर्जा अन्तरण के निबंधनों के अनुसार >			
4	ग्राहक का नाम		
5	पंजीकरण कोड		तक मान्य
< पंजीकरण कोड एसएलडीसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा>			
बी— एसएलडीसी द्वारा भरा जाये >			
आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि व समय			
स्थान दिनांक		हस्ताक्षर (मुहर के साथ) नाम तथा पद नाम	

पावती			
(आवेदन प्राप्ति के तुरन्त बाद विधिवत भर कर एसएलडीसी द्वारा ग्राहक को जारी किया जाये)			
लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रदान किये जाने के लिये आवेदन पत्र			
ए— ग्राहक द्वारा भरा जाये			
1	ग्राहक आवेदन सं0		दिनांक
2	संचालन की अवधि		
3	ग्राहक का प्रकार *	<विक्रेता / क्रेता / कैप्टिव उपयोगकर्ता / व्यापारी (विक्रेता / क्रेता / कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>	
	<* ऊर्जा अन्तरण के निबंधनों के अनुसार >		

4	ग्राहक का नाम		
5	पंजीकरण कोड		तक मान्य
< पंजीकरण कोड एसएलडीसी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा>			
बी– एसएलडीसी द्वारा भरा जाये >			
आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि व समय			
स्थान दिनांक		हस्ताक्षर (मुहर के साथ) नाम तथा पद नाम	
एन.बी. इस प्रतिपर्ण को काट कर निकाल लिया जाये तथा ग्राहक को जारी किया जाये			

आरूप–एसटी 2

लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन हेतु अनुमोदन

(एसएलडीसी द्वारा जारी किया जाये)

नोडल एसएलडीसी अनुमोदन संख्या			दिनांक	
1	ग्राहक आवेदन सं0	*<आरूप–एसटी–1 में दिये गये अनुसार >*	दिनांक	
2	संचालन की अवधि			
3	ग्राहक का प्रकार	विक्रेता/क्रेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता/व्यापारी <(विक्रेता/क्रेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की और से)>		
< ऊर्जा अन्तरण के निबंधनों के अनुसार >*				
4	ग्राहक का नाम			
5	पंजीकरण कोड		तक मान्य	
6	ग्रिड के संचालन पक्ष का विवरण			

		अन्तः क्षेपण एन्टिटी	निकासक एन्टिटी
	एन्टिटी का नाम		
	एन्टिटी की स्थिति *		
	यूटिलिटी, जिस में अन्तः स्थापित है		

< स्वामित्व के निबंधनों के अनुसार राज्य यूटीलिटी/सीपीपी/आईपीपी/आईएसजीएस/डिस्कॉम/उपभोक्ता/यदि कोई अन्य तो विनिर्दिष्ट करें >*

	राज्यान्तर्गत प्रणाली के साथ अन्तःक्षेपक/निकासक संयोजिता का विवरण			
			अन्तः क्षेपक एन्टिटी	निकासक एन्टिटी
	उपकेन्द्र का नाम	पारेषण		
		वितरण		

	वोल्टेज स्तर	पारेषण		
		वितरण		
	अनुज्ञापी का नाम (एस/एस का स्वामी)			
	मध्यस्थ राज्यान्तर्गत अनुज्ञापी			
	मध्यस्थ अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापी			
8	उन्मुक्त अभिगमन हेतु अनुमोदित अवधि (..................से ....तक) पुनरीक्षण सं0			

माह	दिनांक		घंटे		क्षमता (एम डब्लू)		
	से	तक	से	तक	आवेदित	आवंटित	एमडब्लएच

9 < केवल निविदा आमंत्रण पर >

राज्यान्तर्गत प्रणाली का विवरण	दिनांक		घंटे		लागू दर
	से	तक	से	तक	(सं./केडब्लूएच)
पारेषण प्रणाली					
वितरण प्रणाली					

अनुमोदन यूइआरसी (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन एवं शर्ते) विनियम,2010 तथा समय–समय पर संशोधित व लागू अन्य सुसंगत विनियम/आदेश/संहिता के उपबंधो के अधीन है। <केवल अनुमोदन के मामले में>

के कारण अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा रहा है। <केवल रद्दकरण के मामले में>

<यदि उन्मुक्त अभिगमन हेतु इन्कार किया जाता है तो एसएलडीसी विशिष्ट कारण बतायेगा तथा प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत् हस्ताक्षर कर इसके समर्थन में इस्तावेज भी नत्थी कर सकता है

स्थान	हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
दिनांक	नाम तथा पदनाम

आरूप–एसटी 2 का संलग्नक

भुगतानों की अनुसूची

(प्रारूप एस टी– 2 के साथ एसएलडीसी द्वारा प्रत्येक माह के लिए संलग्न किया जाये)

	नोडल एसएलडीसी अनुमोदन सं0			दिनांक	
1	ग्राहक आवेदन सं0	*< आरूप एसटी 1 पर दिये अनुसार >*		दिनांक	
2	संचालन की अवधि				
3	ग्राहक का प्रकार	विक्रता / क्रेता / कैप्टिव उपयोगकर्ता / व्यापारी <(विक्रता / क्रेता / कैप्टिव उपयोगकर्ता की और से)>			
< ऊर्जा अन्तरण के निबंधनों के अनुसार >*					
4	ग्राहक का नाम				
5	पंजीकरण कोड			तक मान्य	

6	लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों के लिए अस्थायी * मासिक भुगतान अनुसूची अवधिः दिनांक ....से ....दिनांक ....तक			
		दर (रू / केडब्लूएच	एमडब्लूएच	कुल (रू)
	(1) राज्यान्तर्गत नेटवर्क			
	(ए) पारेषण प्रभार			
	संबंधित पारेषण अनुज्ञापी			
	मध्यस्थ पारेषण अनुज्ञापी (यदि कोई है)			
	(बी) व्हीलिंग प्रभार			
	संबंधित पारेषण अनुज्ञापी			
	मध्यस्थ राज्यान्तर्गत अनुज्ञापी (यदि कोई है)			
	(सी) अधिभार			
	संबंधित वितरण अनुज्ञापी			
	(डी) अतिरिक्त अधिभार			
	संबंधित वितरण अनुज्ञापी			
	(ई) एसएलडीसी प्रभार			
	एसएलडीसी			
	(2) अन्तर्राज्यीय नेटवर्क			
	पारेषण प्रभार			
	हस्तक्षेपक अन्तर्राज्यीय अनुज्ञापी (यदि कोई है)			
	कुल मासिक भुगतान राशि (रू0)			

स्थान दिनांक	हस्ताक्षर (मुहर के साथ) नाम तथा पदनाम

*आवेदन में निम्नलिखित एमडब्लूएच के आधार पर अस्थायी जो वास्तविक परिचालन में परिवर्तनशील हो सकता है।.

आरूप–एसटी

संकुलता सूचना तथा निविदा आमंत्रण

(एसएलडीसी द्वारा आमंत्रित की जाये)

एसएलडीसी निविदा आमंत्रण.. दिनांक ....

1	ग्राहक आवेदन सं0	*<आरूप–एसटी–1 में दिये गये अनुसार >*	दिनांक	
2	संचालन की अवधि			
3	ग्राहक का प्रकार	विकता / केता / कैप्टिव उपयोगकर्ता / व्यापारी <(विकता / केता / कैप्टिव उपयोगकर्ता की और से)>		
< ऊर्जा अन्तरण के निबंधनों के अनुसार >*				
4	ग्राहक का नाम			
5	पंजीकरण कोड		तक मान्य	
6	प्रत्याशित संकुलता (परिवर्तक तथा विद्युत लाईन / संम्पर्क) निम्नलिखित हैः			

नेटवर्क कौरिडोर	संकुलन अवधि				उपलब्ध अन्तर / क्षमता	सभी ग्राहकों द्वारा आवदेदित कुल क्षमता
	दिनांक		घंटे			
एन्टिटी की स्थिति *	से	तक	से	तक	एमडब्लू	एमडब्लू
राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली						
राज्यान्तर्गत वितरण प्रणाली						
राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली						

7. उपरोक्त के दृष्टिगत कृपया आरूप [आरूप एसटी–4] पर बोली जमा करें। बोली के विवरण निम्नलिखित हैं।			
(ए) निविदा आमंत्रण दिनांक		समय	
(बी) निविदा जमा करने का दिनांक		समय	
(सी) निविदा खुलवाने का दिनांक		समय	
(डी) निविदा आमंत्रण का विषय			

<table>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2">राज्यान्तर्गत नेटवर्क कौरिडोर</td><td colspan="4">संकुलन अवधि</td><td rowspan="2">बोली के लिए उपलब्ध अन्तर/क्षमता</td><td rowspan="2">न्यूनतम कीमत</td></tr>
<tr><td rowspan="2">उप–केन्द्र</td><td rowspan="2">विद्युत लाईन/सम्पर्क</td><td colspan="2">दिनांक</td><td colspan="2">घंटे</td></tr>
<tr><td>से</td><td>तक</td><td>से</td><td>तक</td><td>एमडब्लू</td><td>रू/के डब्लूए च</td></tr>
<tr><td colspan="2">पारेषण प्रणाली का नाम</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">वितरण प्रणाली का नाम</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="7">निविदा जमा न करने पर, आवेदन वापस ले लिया गया समझा जायेगा तथा उसका प्रक्रमण नहीं किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td colspan="4">स्थान
दिनांक</td><td colspan="4">हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
नाम तथा पदनाम</td></tr>
<tr><td colspan="8">ग्राहकों को उनके संदर्भों के साथ <आरूप–एसटी–1 की कम संख्या 1 पर ग्राहकों द्वारा दिये अनुसार ></td></tr>
</table>

प्रारूप एसटी4

निविदा प्रस्ताव

ग्राहक द्वारा एसएलडीसी के पास जमा कराया जाये

सन्दर्भ: एसएलडीसी निविदा आवेदन संख्या –..

सेवा में: उप महाप्रबंधक (एसएलडीसी)

1	ग्राहक आवेदन सं0	*<आरूप–एसटी–1 में दिये गये अनुसार>*	दिनांक	
2	संचालन की अवधि			
3	ग्राहक का प्रकार	विकता/क्रेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता/व्यापारी < (विकता/क्रेता/कैप्टिव उपयोगकर्ता की ओर से)>		
*<*ऊर्जा अन्तरण के निबंधनों के अनुसार>*				
4	ग्राहक का नाम			
5	पंजीकरण कोड		तक मान्य	
6	उपरोक्त निविदा आमंत्रण के सन्दर्भ में, मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित जमा करता हूँ।			

निविदा विवरण, एसएलडीसी द्वारा उपलब्ध कराये अनुसार

राज्यान्तर्गत नेटवर्क कौरिडोर		संकुलन अवधि				निविदा के लिए उपलब्ध अन्तर/क्षमता	न्यूनतम कीमत	निविदा दाता द्वारा उद्धृत कीमत
उपकेन्द्र	विद्युत लाईन/सम्पर्क	दिनांक		घंटे				
		से	तक	से	तक	एमडब्लू	रू/ केडब्लूएच	पैसा/ केडब्लू एच
पारेषण प्रणाली का नाम								
वितरण प्रणाली का नाम								

< निविदा दाता न्यूनतम कीमत के द्योतक में कीमत (पूर्ण संख्या में पूर्णांकित) उद्धृत *करेगा* >

	मै एतद्द्वारा सहमत होता हूँ कि अवधारित बोली कीमत (तें) पारेषण तथा/या व्हीलिंग प्रभार होंगे।

स्थान दिनांक	हस्ताक्षर (मुहर के साथ) नाम तथा पदनाम

आयोग के आदेश से,

ह0/–

पंकज प्रकाश,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी गजट/320–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।